


स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय

एक राष्ट्रीय मिशन




मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार



शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme



“स्वतंत्रता से भी
ज्यादा महत्वपूर्ण है
स्वच्छता”

– महात्मा गाँधी जी

उन्होंने सफाई और स्वच्छता को
गाँधीवादी जीवनशैली का अभिन्न अंग
बना दिया था। सबके लिए पूर्ण स्वच्छता
ही उनका मिशन था।

“..... आज मैं एक शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश के सारे स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो। तभी वो दिन आएगा जब हमारी बेटियों को बीच में पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। हमारे सांसदों के पास सांसद निधि होती है। मैं सभी सांसदों से आह्वान करता हूँ कि वे अगले एक साल तक इस निधि को स्कूलों में शौचालय बनवाने के लिए खर्च करें। सरकार को शौचालयों का बंदोबस्त करने के लिए अपने बजट का सदुपयोग करना चाहिए। मैं व्यवसाय जगत से भी आह्वान करता हूँ कि आप व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी) के तहत अपने बजट को स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर खर्च करें। राज्य सरकारों की मदद से यह लक्ष्य एक साल में पूरा हो जाना चाहिए ताकि अगली 15 अगस्त को हम दृढ़ता के साथ इस बात का ऐलान कर सकें कि अब भारत में कोई ऐसा स्कूल नहीं बचा है जहाँ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है।”

– श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2014

“लड़कियों को शिक्षित करना मेरी प्राथमिकता है। मैंने देखा है कि जब लड़कियाँ तीसरी या चौथी कक्षा में पहुँचती हैं तो वे पढ़ाई छोड़ने लगती हैं क्योंकि स्कूलों में उनके लिए अलग शौचालय नहीं होता। ऐसे में उन्हें स्कूल में सहज महसूस नहीं होता। सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए शौचालय तो होना ही चाहिए। हमें इस बात पर पूरा जोर लगाना चाहिए कि लड़कियाँ पढ़ाई न छोड़ें।”

– श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
शिक्षक दिवस, 5 सितम्बर 2014



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री, भारत



सत्यमेव जयते
भारत सरकार



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी
माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय

एक राष्ट्रीय मिशन


स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय एक पुस्तिका



मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार



पढ़ें चलो, बढ़ें चलो
RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ADHYAN



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme





विषय सूचि

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता	1
नियमित रूप से हाथ धोने के फायदे	6
स्वच्छ विद्यालय के लिए मुख्य प्रतिबद्धताएं	7
स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता की स्थिति	9
स्कूलों में पीने के जल की स्थिति	9
स्कूलों में स्वच्छता की स्थिति	10
शौचालयों की सक्रिय स्थिति में असमानता	12
स्कूलों में स्वच्छता की स्थिति	13
स्वच्छ विद्यालय – आधारभूत तत्व	17
संचालन एवं रख-रखाव : दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, मौसमी और वार्षिक रख-रखाव	19
पाठ्यपुस्तकों की झलकियाँ	21
जल, सफाई और स्वच्छता के लिए व्यवहार में परिवर्तन : हस्तक्षेपों का टिकाऊपन सुनिश्चित करना	22
डिजाइन संबंधी सिद्धांत	25
एक जिले में कार्यक्रम की औसत लागत (प्रति जिले में लगभग 2,000 स्कूलों के लिए)	27
स्वच्छ विद्यालय की तस्वीर	29
स्थानीय स्तर पर श्रेष्ठ व्यवहार के उदाहरण	35
संचालन व रख-रखाव	35
साबुन से हाथ धोने के अनुभव	36
बच्चों की सक्रियता	37
पश्चिम बंगाल की तीन सितारा पद्धति	38
गुजरात के स्कूलों में बाल संसद द्वारा पूर्ण सफाई	39
मध्य प्रदेश में बाल संसद	40
राजस्थान की कक्षाओं में जल, सफाई और स्वच्छता शिक्षा का समावेश	41
सफल प्रयासों का प्रसार : राजस्थान के स्कूलों में शौचालयों और हाथ धोने के लिए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना	42
हस्तप्रक्षालन मिशन : समुदाय में परिवर्तन का सूत्रपात करती बच्चियाँ	43
परिशिष्ट	45
1: प्रारंभिक स्कूल में बालकों के शौचालय का तकनीकी डिजाइन	45
2: प्रारंभिक स्कूल में बालिकाओं के शौचालय का तकनीकी डिजाइन	46
3: सीडब्ल्यूएसएन शौचालय का तकनीकी डिजाइन	47
4: माध्यमिक स्कूल में बालक एवं बालिका शौचालय का तकनीकी डिजाइन	48
5: सामूहिक रूप से हाथ धोने की सुविधाओं का तकनीकी डिजाइन	49
6: संशोधित एमडीएम किचन शेड्स का तकनीकी डिजाइन (मॉडल 1)	50
7: संशोधित एमडीएम किचन शेड्स का तकनीकी डिजाइन (मॉडल 2)	51
वेबसाइट एवं संसाधन	52



स्वच्छ भारत

स्वच्छ विद्यालय

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता

'स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय' एक राष्ट्रीय अभियान है। यह सुनिश्चित करना इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की एक निश्चित और सक्रिय व्यवस्था हो। स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता का आशय तकनीकी एवं मानव विकास के ऐसे आयामों के समुच्चय से है जोकि एक स्वस्थ विद्यालयी वातावरण रचने और उपयुक्त स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार विकसित व प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके तकनीकी आयामों में स्कूल परिसर के भीतर बच्चों और अध्यापकों के लिए पीने का जल, हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय और साबुन की सुविधाओं को गिनाया जा सकता है। दूसरी तरफ, मानव विकास संबंधी आयामों में वे गतिविधियाँ आती हैं जिनके जरिए हम स्कूल के भीतर ऐसी परिस्थितियों और ऐसी आदतों को विकसित कर सकते हैं जिनकी मदद से जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी बीमारियों को रोका जा सकता है।

स्कूल में सफाई और स्वच्छता की स्थिति अध्यापकों, समुदाय सदस्यों, स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) एवं शिक्षा अधिकारियों की क्षमता में सुधार पर निर्भर करती है। स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने का मकसद यह है कि बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों में स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवहार में सुधार के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य व स्वच्छता की स्थिति पर एक स्पष्ट प्रभाव डाला जाए। इसका एक मकसद यह भी है कि स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को प्रोत्साहन देकर और स्कूल के भीतर उपलब्ध जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए और पाठ्यचर्या व शिक्षण पद्धतियों में सुधार लाया जाए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य, दाखिलों की संख्या, हाजिरी और रिटेंशन की दर में सुधार आता है और स्वस्थ बच्चों की एक नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होता है। लिहाजा, नीति निर्माताओं, शासकीय प्रतिनिधियों, नागरिकों और अभिभावकों की जिम्मेदारी है वे यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ पीने का साफ जल, सफाई और स्वच्छता की समुचित सुविधाएं हों। यह हर बच्चे का अधिकार है।

स्कूली बच्चों के लिए जल, सफाई और स्वच्छता के लाभ

- स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था से एक स्वस्थ स्कूली वातावरण सुनिश्चित करने और बच्चों को बीमारी व बेदखली से बचाने में मदद मिलती है। यह एक स्वस्थ भौतिक शैक्षिक वातावरण की दिशा में पहला कदम है जिससे सीखने की प्रक्रिया और स्वास्थ्य, दोनों में सुधार आता है। स्वस्थ और सुपोषित बच्चे स्कूल में बढ़-चढ़ कर सहभागिता कर सकते हैं और शिक्षा का अधिकतम लाभ ले सकते हैं। स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा से ऐसे व्यवहारों को बढ़ावा मिलता है जो जल और स्वच्छता संबंधी बीमारियों को रोक सकती हैं और भावी वयस्क पीढ़ियों में स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती हैं।
- बालिकाओं के सामने बीच में पढ़ाई छोड़ देने की आशंका ज्यादा रहती है। इसकी आंशिक वजह यह है कि जब स्कूल में उनके पास शौचालय और धुलाई-सफाई की सुविधाएं सुरक्षित और सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं होती जिससे उन्हें स्कूल आने में परेशानी होती है। अगर स्कूल में बालकों और बालिकाओं के लिए उपयुक्त और पृथक शौचालय हों तो बालिकाओं की हाजिरी सुनिश्चित करने में पैदा होने वाली इस रुकावट को दूर किया जा सकता है। स्कूलों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था बालिकाओं के लिए खासतौर पर मायने रखती है। लिंग संबंधी मूल्य-मान्यताओं और शरीर की बनावट के कारण बालकों के मुकाबले बालिकाओं के लिए प्राइवैसी कहीं ज्यादा मायने रखती है। अपनी शारीरिक स्थिति की वजह से बालिकाओं को माहवारी के समय पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की खासतौर से जरूरत होती है। पर्याप्त स्वच्छता और गोपनीयता प्रदान करने वाली बुनियादी सुविधाओं और संवेदनशील स्वास्थ्य प्रोत्साहन प्रक्रिया से बालिकाओं को स्कूल में बने रहने और अपनी पढ़ाई पूरी करने में मदद मिलती है।
- साफ-सुथरा स्कूल पोषण में भी मदद देता है। स्कूलों में दिया जाने वाला अपराहन भोजन खाने से पहले साबुन से हाथ धोने जैसा सरल कृत्य भी बीमारियों के फैलाव के सिलसिले को तोड़ देता है। बच्चों को भोजन से अपेक्षित पोषण मिलता है और वे बैक्टीरिया, कीटाणुओं और वायरस के संक्रमण से बच जाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर बच्चे हर रोज नियमित रूप से हाथ धोने लगे तो उनके स्वास्थ्य पर स्पष्ट असर पड़ता है और यह आदत आसानी से नहीं छूटती।¹ लिहाजा, स्वच्छ व्यवहार सिखाने के लिए स्कूल एक आदर्श जगह है।

¹ वैलेरी ए कर्टिस, लीजा ओ डेक्क्यूवा एवं राबर्ट वी ऑगेर (2009) प्लेन्ड, मोटिवेटेड एण्ड हेबिचुअल हाइजीन बिहेवियर, एन इलेवन कंट्री रिव्यू, हेल्थ एजुकेशन रिसोर्सस 24: 655-67.

- स्कूलों में साफ जल, शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं के होने से समता का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलती है। सभी बच्चों को पीने का साफ जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाएं मिलें, यह सभी बच्चों का समान अधिकार है और स्कूलों में बेहतर स्वच्छता व्यवहारों से सभी बच्चों को लाभ होता है। अगर स्कूलों में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हों तो उन्हें समुचित प्राइवैसी और सम्मान का आश्वासन मिलता है। खासतौर से बालिकाओं की नियमित हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। समावेशी और पहुँच के भीतर उपलब्ध सुविधाओं का बंदोबस्त हो तो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी ज्यादा आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और समाज के विकास में योगदान दे सकते हैं।
- एक स्वच्छ विद्यालय होने से बच्चे के जहन में अपने विद्यालय और समुदाय के प्रति गर्व का भाव भी पैदा होता है। इस तरह, प्रत्येक बच्चा अपने परिवार और समुदाय के भीतर जल, सफाई और स्वच्छता व्यवहारों में सुधार के लिए परिवर्तन का वाहक बन जाता है। स्कूल, जल एवं स्वच्छता समूह विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे शौचालयों और हाथ धोने की सुविधाओं को साफ-सुथरा रखें और जरूरत के अनुसार सुरक्षित जल का इंतजाम करें। क्लब के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समय-समय पर बदलते रहते हैं जिससे बालकों और बालिकाओं, दोनों को स्वच्छता और जल से संबंधित जिम्मेदारियाँ मिलती रहें। इससे क्लब के सदस्यों में गौरव और स्वामित्व का भाव भी पैदा होता है और इस धारणा को चोट भी पहुँचती है कि ये काम सिर्फ महिलाओं और बालिकाओं या खास सामाजिक समूहों के द्वारा ही किए जा सकते हैं।
- विकलांग बच्चों के सामने भी ड्रॉपआउट का खतरा काफी ज्यादा रहता है। अगर स्कूल में उनकी पहुँच के अनुरूप सुविधाएं हों तो विकलांग बच्चों की हाजिरी सुनिश्चित की जा सकती है। एक प्रभावी जल, सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम में प्रयोक्ता अनुकूल, बच्चों के अनुकूल सुविधाओं के आधार पर एक समावेशी डिजाइन की चेष्टा की जाती है ताकि किशोरियों, छोटे बच्चों, बीमार या विकलांग बच्चों सहित सभी को स्कूल की सुविधाओं का लाभ मिले। उदाहरण के लिए, शौचालय और हाथ धोने की टूटियाँ बच्चों के कद के अनुसार होनी चाहिए। 'औसत' बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करते हुए इस बात पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चों की सामर्थ्य और जरूरतों में बहुत भारी विविधता होती है। सभी बच्चों की पहुँच को बढ़ाने का सबसे किफायती तरीका यह है कि बाद में महंगे बदलाव करने की बजाय शुरू से ही उनकी पहुँच के आयाम का समावेश किया जाए। स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं सभी बच्चों की पहुँच में हों यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि उनकी रूपरेखा और बनावट तय करते हुए विकलांग बच्चों की जरूरतों को भी ख्याल में रखा जाए। समावेशी सुविधाओं के निर्माण का खर्चा ऐसी सुविधाओं से बच्चों की बेदखली की कीमत से कहीं कम होता है।



“स्कूल में यह शौचालय बनने से पहले तो माहवारी के दौरान हर महीने मुझे एक हफ्ते स्कूल छोड़ना पड़ता था। उस दौरान स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि मुझे पेशाब के लिए बार-बार घर लौटना पड़ता था। अब स्कूल में ही बालिकाओं के लिए अलग से साफ-सुथरा शौचालय बन गया है तो मैं निश्चिंत होकर हर रोज स्कूल आ सकती हूँ। मैंने पिताजी को भी समझाया कि वे घर में भी शौचालय बनवाएं और अब उन्होंने भी पड़ोसियों से कर्जा लेकर ही सही मगर घर में भी एक शौचालय बनवा दिया है।”

— सुश्री तुलसी प्रजापति, कक्षा 8 की विद्यार्थी, हरिपुर अपर प्राइमरी स्कूल गुना, मध्य प्रदेश।



बॉक्स 1.1: एक स्वच्छ और स्वस्थ विद्यालय अवसरों का चक्र रच देता है।

जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं पर व्यय स्कूली बच्चों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निवेश होता है। इससे बच्चों को अपनी पूर्ण संभावनाओं को साकार करने और एक स्वस्थ वयस्क जीवन के लिए तैयार होने में मदद मिलती है जिससे पूरे राष्ट्र को लाभ होता है।

हाथ धोने की आदत दस्त की घटनाओं में 30 प्रतिशत और श्वास संबंधी बीमारियों में 16 प्रतिशत तक कमी ला सकती है।

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था हो तो स्कूल में एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण रचा जा सकता है और बच्चों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चा स्वस्थ होता है तो उसकी याददाश्त, उसकी काम करने की क्षमता, भाषा और समस्या समाधान का कौशल तथा ध्यान एकाग्र करने की अवधि में सकारात्मक सुधार आ जाता है।




बीमारियों के प्रसार को न रोक पाने से बच्चों के बौद्धिक विकास पर खतरा पैदा हो जाता है और उनके सामने स्कूल से गैरहाजिर रहने, स्कूल में समुचित प्रदर्शन न कर पाने और गरीबी की गर्त में फंसे रहने का एक निरंतर चक्र पैदा हो जाता है।

बालक और बालिकाओं के लिए समावेशी और सहज उपलब्ध पृथक शौचालय सुविधाओं के होने से उन्हें प्राइवैसी और सम्मान का आश्वासन मिलता है और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी ज्यादा आसानी से स्कूल जा सकते हैं। यदि लड़कियों को स्कूल में सुरक्षित, साफ शौचालय और जल की सुविधा मिले तो माहवारी के दौरान उनकी गैरहाजिरी की आशंका कम हो जाती है।



सज्जनपारा स्कूल, जिला कामरूप, असम में अपराह्न भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हुए बच्चे



बॉक्स 1.2: स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता से संबंधित कुछ तथ्य

अनुसंधानों से पता चलता है कि अगर स्कूल में जल, साफ-सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था हो तो बच्चों, खासतौर से बालिकाओं को, और अध्यापकों को कई तरह के फायदे होते हैं।

- प्राइमरी स्कूलों (कक्षा 1-5) के दाखिलों में 12 प्रतिशत और अपर प्राइमरी स्कूलों (कक्षा 6-8) के दाखिलों 8 प्रतिशत इजाफा। इससे ड्रॉपआउट दर में गिरावट आती है।
- बालिकाओं के दाखिले में इजाफा होता है क्योंकि बड़े बच्चों के मुकाबले कम उम्र की बालिकाओं और बालकों को इन सुविधाओं के ज्यादा लाभ महसूस होने लगते हैं।
- अध्यापिकाओं के रिटेंशन में इजाफा होता है; तथा
- परीक्षाओं में ज्यादा विद्यार्थी होते हैं और उनका उत्तीर्णता प्रतिशत बढ़ जाता है।²
- भारत के अलवर जिले में स्कूली स्वच्छता की व्यवस्था से बालिकाओं के दाखिलों में एक तिहाई इजाफा हुआ है। यहां बालकों और बालिकाओं के अकादमिक प्रदर्शन में भी 25 प्रतिशत सुधार आया है (यूएन-वॉटर 2008)।

जल, सफाई और स्वच्छता – कुछ वैश्विक साक्ष्य

- बांग्लादेश के एक अध्ययन से पता चला कि स्कूल में स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था होने पर मुख्य रूप से बालिकाओं के दाखिले में 11 प्रतिशत इजाफा हुआ है (आईआरसी 2007)।
- केन्याई स्कूलों के मूल्यांकन में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं के प्रभावों का अध्ययन करने पर पाया गया कि जिन स्कूलों में हाथ धोने की आदत ज्यादा है और शौचालय का इस्तेमाल ज्यादा होता है वहाँ बालिकाओं की गैरहाजिरी कम होती है। एसोसिएशन का मानना है कि स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता पैकेज के सफल क्रियान्वयन से बालिकाओं की गैरहाजिरी में उल्लेखनीय कमी लायी जा सकती है जोकि इस परियोजना का एक बेहद महत्वपूर्ण और वांछित प्रभाव है (आईआरसी 2009ए)।

अध्ययनों के मुताबिक, अगर किसी लड़की के स्कूली अनुभवों में जल, सफाई और स्वच्छता का अभाव हो तो:

- माहवारी के दौरान होने वाली गैरहाजिरी के चलते पूरे साल में उनकी कुल गैरहाजिरी 12 प्रतिशत तक चली जाती है (डब्ल्यूएचओ 2009)। युगांडा में हर तीन में से एक लड़की माहवारी के दौरान या तो पूरे दिन स्कूल नहीं आती या कुछ समय के लिए ही स्कूल आती है (कर्क एवं सॉमर, 2006)।

स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।

नियमित रूप से हाथ धोने के फायदे

- महत्वपूर्ण अवसरों – जिनमें खाना खाने या बनाने से पहले तथा शौचालय जाने के बाद के अवसर शामिल हैं – पर हाथ धोने से दस्त की बीमारी पर 40 प्रतिशत अंकुश लगाया जा सकता है (3आईई 2009)।
- प्राथमिक स्कूल और डे-केयर सेंटर जैसे संस्थानों में हाथ धोने की व्यवस्था हो तो दस्त की घटनाओं में औसतन 30 प्रतिशत तक कमी आ जाती है (कॉक्रेन 2008)।
- स्कूलों में हाथ धोने की व्यवस्था हो तो प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में स्कूल से गैरहाजिर रहने की संभावना घट जाती है। चीन की जिन प्राथमिक पाठशालाओं में साबुनों के प्रचार और वितरण की योजना लागू की गई वहाँ शेष स्कूलों के मुकाबले 54 प्रतिशत कम गैरहाजिरी दर्ज की गई (बॉवेन तथा अन्य 2007)।



² http://scholar.harvard.edu/files/adukia/files/adukia_sanitation_and_education.pdf



स्वच्छ विद्यालय के लिए मुख्य प्रतिबद्धताएं

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाओं के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता के पीछे एक वैधानिक आश्वासन है जिसे माननीय प्रधानमंत्री और शिक्षा अधिकार अधिनियम (2009) का अनुमोदन और समर्थन प्राप्त है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में पीने का जल और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और निर्मल ग्राम पुरस्कार जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस अर्हता पर बल देते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) के राष्ट्रीय स्वच्छता दिशानिर्देशों में भी स्कूलों के भीतर अतिरिक्त स्वच्छता सुविधाओं का बंदोबस्त करने पर जोर दिया गया है जिनमें एनजीपी के जरिए माहवारी संबंधी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इनसीनरेटर्स का भी प्रावधान किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के मुख्य नीतिगत प्रयास इस प्रकार हैं:

संविधान

- धारा 21-ए: “6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है।”

कानून

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009
- आरटीई अधिनियम, 2009 में कानूनन बाध्यकारी अधिकारों की रूपरेखा तय की गई है और इसके लिए कुछ निश्चित समय सीमाएं तय की गई हैं जिनका पालन करना सरकार के लिए अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम की अनुसूची में स्कूली इमारत से संबंधित नियमों और मानकों (पेयजल एवं स्वच्छता सहित) को निर्धारित किया गया है। तदनुसार, स्कूल की इमारत ऐसी होनी चाहिए जो हर मौसम के लिए उपयुक्त हो, जिसमें हर अध्यापक के लिए कम से कम एक कक्षा हो, जहाँ आवाजाही सुगम हो, बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हों, सभी बच्चों के लिए पीने के जल का सुरक्षित और पर्याप्त बंदोबस्त हो।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे स्कूलों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता दें।

नीति और कार्यक्रम

- **सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)** एक समयबद्ध ढंग से प्रारंभिक शिक्षा सार्विकीकरण (यूईई) का लक्ष्य हासिल करने के लिए शुरू किया गया भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत सभी नए स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाता है।
- अपराहन भोजन कार्यक्रम (मिड डे मील) एक पोषाहार कार्यक्रम है जिससे देश के 12 लाख स्कूलों के लगभग 10 करोड़ बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम के अधिकतम पोषक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपराहन भोजन से पहले सामूहिक रूप से हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मार्च 2009 में शुरू किए गए **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)** में माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल अच्छी कक्षाओं, स्तरीय शौचालय सुविधाओं और पीने के जल जैसी अवरचनागत सुविधाओं के बारे में निर्धारित मानकों का पालन करें और लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक विकलांगता संबंधी भेदभावों और अवरोधों को दूर करें।
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)**, अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों की वंचित बालिकाओं को स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत अपर प्राइमरी स्तर पर बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल खोले गए हैं। प्रचलित एसओआर दरों के अनुसार इन केंद्रों में उपलब्ध अवरचनागत सुविधाओं में पीने के साफ जल और शौचालयों की सुविधाओं का भी बंदोबस्त किया गया है।





मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश में पंचायत द्वारा बनाया गया एक सुंदर शौचालय




मध्य प्रदेश में एक साधारण हाथ धोने की व्यवस्था।
अपराहन भोजन से पहले हाथ धोने की दिनचर्या बनाना यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे हाथ धो लें।

स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता की स्थिति

स्कूलों में पीने के जल और शौचालय सुविधाओं में पिछले कुछ साल के दौरान लगातार सुधार आया है। इसके बावजूद, गुणवत्ता और पर्याप्तता के मानकों को पूरा करने और समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सबसे बढ़कर, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का हर रोज इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि ये सुविधाएं चालू हालत में हों – इसके लिए साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था पर जोर देना भी आवश्यक है।

स्कूलों में पीने के जल की स्थिति

चित्र 2.1: स्कूलों में पीने के जल की स्थिति




स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूया, नई दिल्ली।

बॉक्स 2.1: स्कूलों में पेयजल संबंधी डाइस आंकड़े, 2013-2014

- वर्ष 2005-06 में देश भर में ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 9 लाख (83 प्रतिशत) थी जहाँ पीने के जल की सुविधा मौजूद है। अब ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर 10.3 लाख (95 प्रतिशत) तक पहुँच गई है।
- स्कूलों में पढ़ने वाले 19.3 करोड़ बच्चों के पास स्कूल में पीने के जल की सुविधा उपलब्ध है मगर 50 लाख (5 प्रतिशत) बच्चों को अभी भी यह सुविधा नहीं मिल पा रही है।

चित्र 2.2: भारतीय स्कूलों में पेयजल सुविधाओं की राज्यवार चालू स्थिति




स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूया, नई दिल्ली।

स्कूलों में स्वच्छता की स्थिति

बालिकाओं के शौचालय


2005-06 में ऐसे स्कूलों की संख्या 4 लाख (37 प्रतिशत) थी जिनमें बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था थी। 2013-14 में ऐसे स्कूलों की संख्या 10 लाख (91 प्रतिशत) हो चुकी थी। इसके बावजूद, स्वच्छ विद्यालय अभियान की योजना बनाते हुए विभिन्न राज्यों में इन शौचालयों की उपलब्धता, कवरेज और उनकी चालू हालत के लिहाज से मौजूद भारी फर्क को ध्यान में रखना होगा।

चित्र 2.3: स्कूलों में बालिकाओं के शौचालयों की स्थिति



स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।

चित्र 2.4: स्कूलों में बालिकाओं के लिए पृथक चालू शौचालयों की राज्यवार स्थिति




स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।



बालकों के शौचालय


बालकों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था वाले स्कूलों की संख्या 2005–06 में 4 लाख (31 प्रतिशत) थी। 2013–2014 में ऐसे स्कूलों की संख्या 8 लाख (85 प्रतिशत) पहुँच चुकी थी।

चित्र 2.5: स्कूलों में बालकों के शौचालयों की स्थिति



स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।


चित्र 2.6: स्कूलों में बालकों के लिए चालू शौचालयों की राज्यवार स्थिति



स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।

शौचालयों की सक्रिय स्थिति में असमानता


चित्र 2.7: स्कूलों में चालू स्वच्छता सुविधाओं की राज्यवार स्थिति



स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।

- ऐसे स्कूलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है जहाँ पीने के जल और शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मगर इन सुविधाओं की खस्ता हालत और खराब रख-रखाव के कारण इनके लगातार इस्तेमाल में व्यवधान आता है और निवेश का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उदाहरण के लिए, शौचालयों के संचालन और रख-रखाव के लिए निश्चित निधि का अभाव, शौचालयों में जल की उपलब्धता की कमी और खराब प्रबंधन, इन सभी वजहों से शौचालय ठप्प पड़ते चले जाते हैं।
- निर्माण की गुणवत्ता में कमी और निर्धारित मानकों व कसौटियों का पालन न करने के कारण भी ये ढाँचागत सुविधाएं ज्यादा समय तक नहीं टिक पातीं।

चित्र 2.8: शौचालयों की सफाई और फ्लशिंग के लिए जल की उपलब्धता, अभी भी एक बड़ा मुद्दा



स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।




जल की उपलब्धता और सही रख-रखाव न होने से शौचालय और जल के स्रोत ठीक से काम नहीं करते जिससे निवेश की बर्बादी होती है।



अपराह्न भोजन से पहले सभी स्कूलों में स्वच्छता, खासतौर से साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। मिल कर साबुन से हाथ धोने की सुविधाओं का बंदोबस्त करने के साथ-साथ बच्चों के व्यवहार में व्यवस्थित बदलाव लाना भी जरूरी है ताकि उनके क्रियाकलापों और व्यवहार में स्थायी बदलाव लाया जा सके। ज्यादातर स्कूलों में माहवारी संबंधी स्वच्छता प्रबंधन की व्यवस्था नहीं है। इस मद में बालिकाओं के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे की व्यवस्था, सेनेटरी उत्पादों तक पहुँच, उनके निस्तारण की व्यवस्था तथा समयोचित और उपयुक्त स्वच्छता शिक्षा आदि आयाम भी महत्वपूर्ण हैं।


स्कूलों में स्वच्छता की स्थिति

चित्र 2.9: ऐसे स्कूलों का प्रतिशत जहाँ हाथ धोने के लिए एक निश्चित स्थान उपलब्ध है



- हाथ धोने की निश्चित जगह वाले स्कूल
- हाथ धोने की निश्चित जगह के अभाव वाले स्कूल

चित्र 2.10: ऐसे स्कूलों का प्रतिशत जहाँ हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है



- हाँ
- नहीं

स्रोत: यू-डाइस, 2013-14, न्यूपा, नई दिल्ली।

अपराह्न भोजन (एमडीएम) योजना पर 9 राज्यों के 540 स्कूलों में किए गए एक अध्ययन के नतीजों से पता चला है कि:

- केवल 51 प्रतिशत स्कूलों में ही हाथ धोने के लिए एक निश्चित जगह उपलब्ध है और 44 प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने के लिए निर्धारित जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- हाथ धोने के स्थान पर साबुन/डिटरजेंट औसतन 10 में से केवल 1 (12 प्रतिशत) स्कूल में ही उपलब्ध था।
- लगभग आधे (49 प्रतिशत) विद्यार्थी केवल जल से अपने हाथ धोते थे। औसतन 5 में से 2 (42 प्रतिशत) विद्यार्थी ही साबुन/डिटरजेंट का इस्तेमाल कर रहे थे (स्रोत : हाइजीन प्रेक्टिसेज इन स्कूल्स ड्यूरिंग मिड डे मील, युनिसेफ-इंडिया स्टडी 2009)।
- भारत के सात राज्यों के 392 स्कूलों में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग एक तिहाई (32 प्रतिशत) बच्चे खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। (स्रोत : पहेली सर्वे, प्रथम, यूनाइटेड ज्वाइंट प्रोग्राम ऑन कनवर्जेंस (यूएनजेपीसी), 2012)।





साफ स्कूल, साफ हाथ और पौष्टिक अपराहन भोजन के जरिए स्वस्थ और शैक्षिक परिणाम हासिल करना।





एक चित्रकारी प्रतियोगिता में स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता पर नये विचार को व्यक्त करते बच्चे

स्वच्छ विद्यालय – आधारभूत तत्व

देश के प्रत्येक स्कूल में सुरक्षित जल, सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम के तकनीकी एवं मानव विकास आयामों के संबंध में कुछ आधारभूत हस्तक्षेप आवश्यक हैं। ये आधारभूत तत्व इस प्रकार हैं:

सफाई

- बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था जिसमें एक इकाई में आमतौर पर एक शौचालय (डब्ल्यूसी) और तीन मूत्रालय होंगे। प्रति 40 विद्यार्थियों पर एक इकाई का औसत सुनिश्चित करना होगा।
- माहवारी संबंधी स्वच्छता प्रबंधन सुविधाएं जिनमें साबुन, कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त और निरापद स्थान, कपड़े धोने के लिए पर्याप्त जल और माहवारी संबंधी गंदगी के लिए निस्तारण सुविधाएं जिनमें इनसीनरेटर और कूड़ेदान भी शामिल हैं।

अपराहन भोजन के पहले साबुन से हाथ धोना

- सामूहिक रूप से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो जिसमें 10–12 विद्यार्थी एक साथ हाथ धो सकें। हाथ धोने का स्थान सरल, बच्चों की ऊंचाई के अनुरूप और टिकाऊ होना चाहिए जिसमें जल के किफायती इस्तेमाल की व्यवस्था की गई हो। हाथ धोने की इन सुविधाओं को स्थानीय सामग्री का प्रयोग करके विकसित किया जा सकता है।

साबुन के साथ सामूहिक रूप से हाथ धोने के सत्र अपराहन भोजन परोसने से पहले आयोजित किए जाने चाहिए। इस समय अध्यापकों को निगरानी का जिम्मा संभालना चाहिए और उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सही ढंग से हाथ धोएं। हाथ धोने के सत्र बच्चों को स्वच्छता के विषय में संदेश देने का, खासतौर से यह संदेश देने का एक अच्छा अवसर होता है कि उन्हें खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद हाथ जरूर धोने चाहिए। इन अवसरों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल संबंधी संदेश देने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अपराहन भोजन शुरू करने से पहले पर्याप्त समय (अपेक्षित 10–12 मिनट) दिया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे और सभी अध्यापक साबुन से अच्छी तरह हाथ धो सकें।

पीने का जल

- बच्चों के लिए पीने और हाथ धोने के लिए जल की अनुकूल और स्थायी व्यवस्था। इसके अलावा, शौचालय की साफ-सफाई और खाना पकाने व तैयारी के लिए भी जल होना चाहिए। पीने के जल के सुरक्षित संभाल और भंडारण की व्यवस्था पूरे स्कूल में अपनाई जानी चाहिए।

संचालन एवं रख-रखाव (ओ एण्ड एम)

- सभी जल, स्वच्छता एवं हाथ धोने से संबंधित सुविधाएं साफ-सुथरी, चालू हालत में हों ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अपेक्षित परिणाम मिलें और उन पर किया गया पूंजीगत व्यय व्यर्थ न चला जाए। इस मद में वार्षिक रख-रखाव अनुबंध भी जारी किए जा सकते हैं जिनमें इन सुविधाओं के नियमित रख-रखाव, सफाई सामग्री, साबुन, कीटनाशक, झाड़ू, ब्रश, बाल्टी आदि की नियमित आपूर्ति का प्रावधान किया गया हो। वार्षिक रख-रखाव अनुबंधों में इस बात को भी चिन्हित किया जा सकता है कि कब और कहाँ मरम्मत की जरूरत है। विकल्प के तौर पर इस मद में कोई स्थानीय प्रबंध भी किया जा सकता है जिसमें स्थानीय सफाईकर्मी/क्लीनर को स्कूल/जिले द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और उसे साबुन, कीटनाशकों, झाड़ू, ब्रश, बाल्टी आदि की नियमित आपूर्ति की जा सकती है।
- एसएमसी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के उचित समूह द्वारा जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का नियमित/दैनिक निरीक्षण।

व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ


- जल, सफाई एवं स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन गतिविधियाँ सभी बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। स्वच्छता संबंधी संदेशों को पाठ्यपुस्तकीय पाठ्यचर्या में भी समेकित किया जा सकता है या उन्हें पूरक पाठ्यसामग्री या गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों अथवा प्रातःकालीन सभा के जरिए भी संप्रेषित किया जा सकता है।
- अध्यापिकाओं द्वारा बालिकाओं को एक संवेदनशील और सहायक ढंग से माहवारी संबंधी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में सिखाया जाना चाहिए। अध्यापिकाओं को चाहिए कि वे माहवारी के दौरान बालिकाओं के प्रोत्साहन व सहायता के लिए उपयुक्त कदम उठाएं ताकि बालिकाओं को स्कूल से गैरहाजिर न होना पड़े। इसमें स्कूल में माहवारी संबंधी स्वच्छता शिक्षा सत्रों का

आयोजन करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कदम भी उठाए जाएं कि बालिकाओं के पास अपने कपड़े धोने और बदलने के लिए एक सुरक्षित और निजी जगह हो। कुछ स्कूलों में मौजूदा सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है; अन्य स्कूलों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करना होगा। बालिकाओं को सहायता देने के लिए स्कूल में अतिरिक्त सेनेटरी पैड और कपड़े (जैसे स्कूल की वर्दी की अच्छी-खासी मात्रा) जमा की जानी चाहिए ताकि आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

क्षमतावर्धन

- इस क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं में सुधार लाना बहुत आवश्यक है ताकि जल, सफाई और स्वच्छता को सुगम बनाने, उनका वित्तपोषण करने, प्रबंधन और देख रेख के कौशल, ज्ञान और अनुभवों का सही समन्वय किया जा सके। उदाहरण के लिए, अध्यापक और एसएमसी सदस्यों को इन सुविधाओं के समतापरक इस्तेमाल और रख-रखाव के तरीके समझने चाहिए, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि स्वच्छता पर पर्याप्त रूप से जोर दिया जाए और इन तत्वों की निगरानी नियमित रूप से की जाए। इसके अलावा, स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम लागू करने के साथ-साथ नई सीखों का भी समावेश करना होगा और नए किस्म के कार्यक्रम भी विकसित करने होंगे।

एक न्यूनतम स्वच्छ विद्यालय पैकेज





संचालन एवं रख-रखाव : दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, मौसमी और वार्षिक रख-रखाव

हमारे स्कूल की रख-रखाव समय सारणी

एसएमसी के कुछ सदस्यों और कुछ अध्यापकों को स्कूल संचालन एवं रख-रखाव (ओ एण्ड एम) समय सारणी को सुचारु रूप से चलाने का दायित्व संभालना होगा। रख-रखाव समय सारणी का सही ढंग से पालन किया जा रहा है या नहीं, इस पर अंकुश रखने के लिए जिला/बीआरसी/सीआरसी कर्मचारियों को नियमित रूप से अपने दौरों की भी योजना बनानी होगी। इसके लिए एक सुपरवाइजर (उपयुक्त स्तर पर) केंद्रों का दौरा करेगा और समुचित फॉलोअप कार्रवाई के लिए अपनी टिप्पणियां देगा। रख-रखाव समय सारणी की सामान्य चैकलिस्ट इस प्रकार होगी:

दैनिक रख-रखाव

- शौचालय और रसोई घर सहित समूचे विद्यालय परिसर के भीतरी फर्श की सामान्य सफाई।
- पूरे विद्यालय परिसर में कहीं भी होने वाले जल भराव की सफाई।
- भंडार, डेस्क और बेंचों तथा खिलौनों/पुस्तक भंडारों की झाड़-पोंछ।

साप्ताहिक रख-रखाव


- नलकों से होने वाले रिसाव, वॉल्वों, फ्लशिंग सिस्टर्न आदि की जाँच
- नालियों, सीवेज पाइपों और गंदे जल के पाइपों में किसी भी तरह के अवरोध की जाँच
- दरवाजों, खिड़कियों और अलमारियों के ढीले हो चुके तालों और शटरों की जाँच
- आवश्यकता के अनुसार बेलचों से मिट्टी का चूरा बनाना

पाक्षिक रख-रखाव

- सभी उपकरणों और दीवारों आदि से धूल झाड़ना।
- परिसर में कहीं भी पड़े मलबे/कचरे/इमारती कचरे को हटाना।
- खुले प्रांगण में कहीं भी जल भराव को रोकना।
- जमीन पर, प्रांगण में और प्रांगण से निकलने वाली नालियों में किसी भी तरह के कचरे को साफ करना।
- दीवारों (खासतौर से उनके कोनों और किनारों), दरवाजों, खिड़कियों, अलमारियों के शटर पर जहाँ भी इनेमल पेंट किया गया हो वहाँ एक गीले कपड़े/डिटरजेंट युक्त कपड़े से दाग-धब्बों की सफाई।

मासिक रख-रखाव

- दीवारों, छत और फर्श पर सीलन की जाँच करना।
- इमारत में कहीं भी दीमक की मौजूदगी की जाँच करना।
- इस बात की जाँच करना कि सभी दरवाजे, खिड़कियाँ और अलमारियाँ चालू हालत में हों।
- दीवारों और छतों पर किसी भी तरह की दरारों की जाँच करना।
- इस बात की जाँच करना कि जल की टंकियाँ अच्छी तरह ढकी हुई हैं या नहीं और कहीं जल का रिसाव तो नहीं हो रहा है और संग्रहित जल साफ है या नहीं।
- इस बात की जाँच करना कि मेनहोलों/निरीक्षण कक्षों के ढक्कन सही ढंग से लगे हैं या नहीं और वे क्षतिग्रस्त तो नहीं हैं।
- यह पता लगाना कि फर्स्ट एड किट अद्यतन है या नहीं और उसमें मौजूद दवाइयों की मियाद खत्म तो नहीं हो गई है। आवश्यकता के अनुसार नई दवाइयाँ मंगाना।



मौसमी / तिमाही रख-रखाव (मानसून से पहले)

- जाँच करें कि जल की टंकी में कहीं रिसाव तो नहीं है। अगर टंकी में किसी तरह का रिसाव पाया जाता है तो उस पर जलरोधक सीमेंट या सीलेंट से उसको बंद किया जाए और टंकी की नियमित अंतराल पर सफाई की जाए।
- अगर भूमिगत टंकियाँ हैं तो इस बात पर नजर रखें कि वे अच्छी तरह ढकी हुई हों और टंकियों का मुहाना सही तथा आसपास की सतह से ऊपर हो।
- छत, जल की निकासी के बिंदुओं की सफाई की जाए, किसी भी तरह की दरारों, गिर रहे गोले, मुंडेर, छज्जे आदि की जाँच की जाए।
- स्कूल का मैदान समतल और साफ हो।
- बिजली की लाइनों और अर्थिंग (यदि प्रासंगिक हो) की गहन जाँच की जाए।
- पंखों, ट्यूबलाइटों और बल्बों से सभी तरह की धूल साफ की जाए।
- कूलरों (यदि हों तो), जल की टंकी को साफ किया जाए, उनके पैड बदले जाएं, उनकी विद्युत व्यवस्था और अर्थिंग की जाँच की जाए।
- उपरोक्त पद्धति के अनुसार जल की टंकियों की पूरी तरह सफाई की जाए। सभी दरवाजों और खिड़कियों के कब्जों, नट बोल्ट और अन्य हिस्से चालू हालत में हो, इस बात की जाँच की जाए।
- किसी भी तरह की जल की टंकी की गहन जाँच की जाए। अगर टंकियां छोटी हैं तो उनमें होने वाले किसी भी तरह के रिसाव का फौरन पता लगाया जाए और उनकी तत्काल मरम्मत की जाए।

वार्षिक रख-रखाव

- छुट्टियों के दौरान सामान्य मरम्मत और रख-रखाव
- संरचनागत मरम्मत और प्लास्टर कार्य
- संबंधित रंग-रोगन कार्य
- सीवर और गंदे जल के पाइपों की पूरी सफाई की जाए
- निरीक्षण और जंक्शन चेम्बरों की पूरी सफाई की जाए। कहीं रिसाव हो तो उसकी मरम्मत की जाए।
- अगर सेप्टिक टैंक और लीच पिट का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनकी पूरी सफाई की जाए।
- बिजली की सभी लाइनों और अर्थिंग की कोई भी बड़ी मरम्मत हो तो उसे किया जाए।
- ब्लैक बोर्डों की मरम्मत। सभी दरवाजों और खिड़कियों के कब्जों और नट-बोल्ट की जाँच करें।

एसएसए के तहत स्कूली बुनियादी ढांचे की मरम्मत का काम एसएमसी/अभिभावकों, बच्चों, अध्यापकों एवं अन्य के जरिए संपन्न किया जाएगा। एसएमसी स्कूली बुनियादी ढांचे की गहन जाँच कर सकती है, स्कूल की इमारत, शौचालय, टूटियों, जल की टंकी, हाथ के नलके, रैम्प पर लगी रेलिंग आदि सभी तत्वों में मरम्मत का आकलन कर सकती है। स्थानीय बड़ई राजगीर और अन्य कुशल मजदूरों की मदद से वे स्थानीय बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर इस मरम्मत के खर्चे का संभावित अनुमान लगा सकते हैं।

एसएमसी चाहे तो एसएसए, शिक्षा विभाग से आने वाली राशि, सांसद एवं विधायक निधि तथा नरेगा जैसी अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर भी इन लागतों की भरपाई कर सकती है। इस प्रक्रिया का स्वामित्व समुदाय के पास होगा इसलिए वार्षिक रख-रखाव का मकसद यह है कि स्कूली बुनियादी ढांचे को अधिक से अधिक समय तक सुचारु रूप से चलाया जा सके। अगर कभी अनुदानों की कमी पैदा होती है तो इसके लिए समुदाय से अंशदान लिया जा सकता है। गौरतलब है कि स्कूली बुनियादी ढांचे को कायम रखने की जिम्मेदारी अंततः एसएमसी/स्थानीय समुदाय के ऊपर होगी।





पाठ्यपुस्तकों की झलकियाँ

एनसीईआरटी कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक

अध्याय	पृष्ठ संख्या	सफाई और उससे संबंधित मुद्दों पर सामग्री
5	34	<ul style="list-style-type: none"> आप अपने घर को कैसे साफ रखते हैं? घर को साफ रखने में कौन-कौन आपकी मदद करते हैं? अपने घर का कूड़ा आप कहाँ फेंकते हो? क्या अब आपके घर के आसपास की जगह साफ है?

एनसीईआरटी कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक

अध्याय	पृष्ठ संख्या	सफाई और उससे संबंधित मुद्दों पर सामग्री
18	146	<ul style="list-style-type: none"> आजकल पीने के लायक जल नहीं मिल पा रहा है।
	147	<ul style="list-style-type: none"> गंदा जल हमारे शरीर को किस तरह हानि पहुँचा सकता है?
	150	<ul style="list-style-type: none"> पीने के लिए थोड़ा-सा जल उबालने के लिए रख दो। उबला हुआ कुछ जल अपने घरवालों के लिए भी ले जाना।
	152	<ul style="list-style-type: none"> क्या सारे मटकों में जल भरा हुआ है और उनको अच्छी तरह ढक दिया है? क्या मटकों और जल के दूसरे बर्तनों की नियमित रूप से सफाई की जा सकती है?
	153	<ul style="list-style-type: none"> क्या मटके या बर्तन से जल निकालने के लिए लंबे हथ्थे वाला कड़छुल हैं? हर बर्तन के साथ कितने कड़छुल हैं? क्या जल की टूटी या मटकों के आसपास नियमित रूप से सफाई होती है?
	154	<ul style="list-style-type: none"> क्या शौचालय के आसपास हाथ धोने के लिए जल उपलब्ध है? क्या आप शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोते हैं?
	155	<ul style="list-style-type: none"> शौचालयों को साफ-सुथरा रखने के लिए क्या किया जा सकता है?

एनसीईआरटी विज्ञान पाठ्यपुस्तकें

कक्षा	किताब का नाम	अध्याय	विषयवस्तु
6	विज्ञान पाठ्यपुस्तक	16 – कचरा भीतर, कचरा बाहर	कचरे से निपटने और कचरे में कमी लाने के तरीके
7	विज्ञान की पाठ्यपुस्तक	18 – गंदे जल की कहानी	वातावरण को साफ और स्वस्थ रखने में लोगों की भूमिका
8	विज्ञान की पाठ्यपुस्तक	2 – सूक्ष्मजीवी : दोस्त और दुश्मन	मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए आसपास के माहौल को साफ और सूखा रखने की आवश्यकता
9	विज्ञान की पाठ्यपुस्तक	13 – हम बीमार क्यों पड़ते हैं?	संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वच्छता उपायों का क्या महत्व है
12	जीवविज्ञान की पाठ्यपुस्तक	8 – मानव स्वास्थ्य और बीमारियाँ	बीमारियों की रोकथाम के लिए व्यक्तिगत साफ-सफाई और स्वच्छता, कचरे के निस्तारण जैसे लोक स्वास्थ्य उपाय, पीने के जल का शोधन, तथा मच्छरों की रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।

एनसीईआरटी शौचालय एवं शारीरिक शिक्षा

कक्षा	अध्याय
1-10	खानपान की आदतें – स्वच्छता और शारीरिक सफाई, शौचालयों के प्रयोग के पश्चात सफाई, त्वचा, मुँह, कान, दाँत और आँख की सफाई, शौचालय का समुचित प्रयोग, सफाई और पर्यावरण आदि

जल, सफाई और स्वच्छता के लिए व्यवहार में परिवर्तन : हस्तक्षेपों का टिकाऊपन सुनिश्चित करना

जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी किसी भी कार्यक्रम की सफलता और टिकाऊपन के लिए व्यवहार में प्रभावी बदलाव लाना बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल के प्रसंग में व्यवहार संबंधी बदलावों का मतलब है हाथ धोने की आदतों में बदलाव लाया जाए, शौचालयों के बेहतर रख-रखाव और इस्तेमाल पर जोर दिया जाए और पीने के साफ जल के साथ-साथ किशोरियों को माहवारी के समय बेहतर स्वच्छता के तरीके सिखाए जाएं।

व्यवहार परिवर्तन का लक्ष्य अक्सर 'स्वच्छता प्रोत्साहन' पद में प्रतिबिंबित होता है और बहुत सारी स्वच्छता प्रोत्साहन रणनीतियों का मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि लोगों को सफाई और स्वच्छता के विषय में बेहतर ज्ञान प्रदान किया जाए। स्कूली उम्र के बच्चों के तीव्र शैक्षिक एवं बौद्धिक विकास के चलते किसी भी स्कूल में एक से अधिक व्यवहार परिवर्तन पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है। बच्चे अपने स्कूल और घर के वातावरण के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं इसलिए स्कूल आधारित व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। स्वस्थ शैक्षिक संदेशों और व्यवहारों को घर तक पहुँचाने की बच्चों में जबर्दस्त संभावना होती है जिससे स्कूल आधारित कार्यक्रमों का प्रभाव उनके अभिभावकों, समुदायों और स्कूल न जाने वाले अन्य बच्चों तक भी पहुंच जाता है। स्कूल स्वाभाविक रूप से सीखने का केंद्र होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पढ़ने वाले बच्चे व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन शिक्षा के प्रति ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। सिद्धांतकारों का कहना है कि बहुत सारी व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आदतें मुख्य रूप से बचपन में ही सीखी और अर्जित की जाती हैं। इसका मतलब है कि स्कूली बच्चों के व्यवहार में बदलाव उनके पूरे जीवन के लिए सार्थक हो सकते हैं।

जीवन कौशलों को प्रोत्साहित करने वाली स्वच्छता शिक्षा का क्रियान्वयन एक और महत्वपूर्ण कारक है।


स्कूल आधारित व्यवहार परिवर्तन के मुख्य तत्व

स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाना आसान नहीं होता। इसके लिए प्रायः ज्ञानवर्धन पर तो बहुत जोर दिया जाता है मगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वह ज्ञान संबंधित स्वच्छता के प्रति उपयुक्त रवैये और कौशल में भी रूपांतरित हो। जीवन कौशलों पर आधारित स्वच्छता शिक्षा ज्ञान, कौशल और सोच, इन तीनों आयामों पर समान रूप से बल देती है। स्कूलों में व्यवहार परिवर्तन रणनीतियों के लिए बच्चे-से-बच्चा पद्धति बहुत बुनियादी महत्व रखती है। बच्चे-से-बच्चा रणनीतियों में व्यवहार परिवर्तन के लिए एक-दूसरे पर सकारात्मक दबाव पैदा करने की कोशिश की जाती है। ज्ञान और सूचनाएं प्रदान करने वाली परंपरागत व्यवहार परिवर्तन पद्धतियों के विपरीत जीवन कौशल आधारित स्वच्छता शिक्षा से बच्चों को समुचित स्वच्छता की आदत विकसित करने और अपनाने में मदद मिलती है। जीवन कौशलों पर आधारित शिक्षा ऐसे पारस्परिक सत्रों के जरिए दी जा सकती है जिनमें विद्यार्थियों के बीच आदान-प्रदान और सामूहिक व्यवहार को बढ़ावा मिलता हो।

अपराहन भोजन से पहले अध्यापकों की देख-रेख में हर रोज साबुन से हाथ धोने का अवसर जीवन कौशल आधारित व्यवहार परिवर्तन पद्धति का एक ठोस उदाहरण है जिसमें सभी विद्यार्थी खाना खाने से पहले सामूहिक रूप से दिन में कम से कम एक बार साबुन से हाथ जरूर धोते हैं। स्कूल में होने वाली यह सामूहिक गतिविधि श्रेष्ठ स्वच्छता व्यवहार की आदत को पुष्ट करती है और स्वस्थ आदतों को सींचने के लिए सामाजिक मानकों और सहपाठी प्रोत्साहन की सकारात्मक शक्ति का प्रयोग करती है। शौचालयों के इस्तेमाल से संबंधित व्यवहार परिवर्तन की संभावना दैनिक आधार पर होने वाली सामूहिक गतिविधियों पर भी आश्रित है जहाँ इस बात पर मुख्य जोर दिया जाएगा कि शौचालयों को दैनिक रख-रखाव के जरिए हमेशा साफ-सुथरा रखा जाए।

व्यवहार परिवर्तन की पाठ्यचर्या भी एक सुविचारित विकल्प है और यह काफी उपयोगी साबित हुई है। देश के बहुत सारे राज्यों में जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन आयामों का स्कूली पाठ्य पुस्तकों और पूरक पाठ्य सामग्रियों में समावेश किया गया है। इस सामग्री को शौचालयों में नियमित रूप से पढ़ाने के साथ-साथ हर सप्ताह इस सामग्री पर विशेष कक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है। स्वच्छता संबंधी संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रातःकालीन सभा भी एक प्रभावी अवसर पायी गई है। इसमें प्रार्थना के समय बच्चों की साफ-सफाई की जाँच की जाती है और गीतों व लघु नाटिकाओं आदि के माध्यम से उन्हें स्वच्छता का संदेश दिया जाता है।

आगे जारी...



परिवर्तन वाहकों के रूप में बच्चे

सीखने की प्रक्रिया में स्कूल एक सुस्थापित प्रवेश बिंदु का काम करते हैं। अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ज्ञान प्रसार के जरिए या प्रत्यक्ष संपर्क और प्रदर्शन के माध्यम से स्कूल अभिभावकों और समुदाय को प्रभावित करने का भी एक बढ़िया अवसर प्रदान करते हैं। बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और वयस्कों के मुकाबले ज्यादा आसानी से अपना व्यवहार बदल सकते हैं। वे अपने घरों में प्रचलित व्यवहारों पर सवाल खड़ा कर सकते हैं और श्रेष्ठ तर्क व पद्धतियों को करके दिखा सकते हैं। वे स्कूल में जो कुछ सीखते हैं उसे अपने संगी-साथियों और भाई-बहनों तक भी पहुँचाते हैं और आगे चलकर अभिभावक बनने पर वे अपने बच्चों को भी यह संदेश दे सकते हैं।

पाठ्यचर्या केवल औपचारिक पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के समूह, जैसे स्कूल स्वास्थ्य क्लब, अन्य विद्यार्थियों और समुदाय में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी संदेशों के प्रसार के लिए अकसर उत्तेजक और आनंददायक गतिविधियों की तलाश में रहते हैं। बहुत सारे स्कूलों में 'बाल संसदों' का भी गठन किया गया है जिनके सदस्य अपने स्कूल में स्वच्छता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हैं। समूचे विद्यार्थी समुदाय की सहायता से बाल संसदें स्कूल में मौजूद सुविधाओं के रख-रखाव तथा स्वस्थ व्यवहार एवं स्वच्छता पद्धतियों पर नजर रखने और उनको बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाती हैं। बाल संसद के सदस्य स्कूल के वातावरण को साफ रखने, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आदतों पर नजर रखने, गैरहाजिर बच्चों पर नजर रखने और स्वस्थ व्यवहार व आदतों को पुष्ट करने वाली पुस्तकों व अन्य पाठ्य सामग्री को लाइब्रेरी से जारी करने की प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। बाल संसद में प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, संस्कृति एवं क्रीड़ा मंत्री आदि मंत्री होते हैं।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा आदि बहुत सारे राज्यों में सरकारी आदेश जारी करके बाल संसदों को संस्थागत मान्यता दी जा चुकी है।



नेता की जिम्मेवारी निभाते बच्चे, जो स्कूलों में बाल संसद के जरिए संभव हुआ है।



उत्तर प्रदेश में पंचायत द्वारा बनाया गया एक सुंदर शौचालय



डिजाइन संबंधी सिद्धांत

जल, सफाई और स्वच्छता संबंधी सारी सुविधाएं प्रयोक्ताओं के अनुकूल होनी चाहिए। विकलांग बच्चों सहित किसी भी बच्चे को इन सुविधाओं तक पहुँच और प्रयोग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि विभिन्न सुविधाओं की गुणवत्ता, तकनीकी बनावट और आवश्यक तत्वों में समरूपता हो। यह विवरण शौचालय के स्थान, हाथ धोने के स्थान से संबंधित है और इसमें बालिकाओं, विकलांग बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के अनुकूल डिजाइन पर ध्यान दिया जाए। मरम्मत की कम जरूरत पड़े और उनमें एक फिनिश और गुणवत्ता हो। इस मद में निम्नलिखित डिजाइन संबंधी सिद्धांत सुझाए जा रहे हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर तकनीकी डिजाइन और लागत अनुमानों के कुछ उदाहरण भी परिशिष्ट में दिए गए हैं।

बालिकाओं और बालकों के (पृथक) शौचालयों के लिए आवश्यक तत्व

- शौचालय में बैठने की जगह और धोने के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो।
- प्राकृतिक प्रकाश एवं हवा निकासी के लिए सही दिशा और निर्वात हो।
- बच्चों के लिए आसान कुंडे और चिटकनी वाले दरवाजे हों।
- फर्श पर्याप्त ढलान वाला और रख-रखाव की दृष्टि से आसान हो।
- हल्की छत।
- कम से कम एक शौचालय, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए हो और उसमें सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए हो।
- बालिकाओं के शौचालय खंड में कम से कम एक इंसीनरेटर हो। वहाँ सेनेटरी नैपकिन रखने के लिए आला जरूर बना हो।
- कपड़े लटकाने के लिए डब्ल्यूसी कक्ष में हुक/खूटियाँ लगी हों।
- स्वच्छता संबंधी प्रमुख संदेशों को दर्शाने वाले चित्र और पोस्टर आदि।
- जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग।

बालिकाओं और बालकों के मूत्रालय के लिए आवश्यक तत्व

- मूत्रालयों के बीच विभाजक दीवार।
- प्राकृतिक प्रकाश और हवा निकासी के लिए रोशनदान।
- कम से कम एक मूत्रालय में 1500 मिलीमीटर ऊंचाई तक का जालीदार दरवाजा हो।
- फर्श सिरेमिक की टाइल का बना हो ताकि उसका आसानी से रख-रखाव किया जा सके। फर्श पर्याप्त ढलाव वाला हो और उसका रख-रखाव आसान हो।
- हल्की छत।
- जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाए।

शौचालयों और मूत्रालयों में हाथ धोने की सुविधा जहाँ

- बालकों और बालिकाओं के शौचालय खंडों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध हो।
- बच्चों के कद और ऊंचाई पर टूटियाँ लगी हों।
- बच्चों के कद और ऊंचाई के हिसाब से साबुन रखने की जगह हो।
- जल संरक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाए।

अपराहन भोजन हेतु हाथ धोने का स्थान/रसोई घर के लिए:

- अपराहन भोजन से पहले और पश्चात हाथ धोने के लिए यह एक अतिरिक्त स्थान होगा।
- यह जगह शौचालय खंडों के बाहर या उनसे दूर (यदि संभव हो) बनाई जाए क्योंकि आमतौर पर बच्चे खाना खाने से पहले शौचालय के भीतर नहीं जाना चाहेंगे।
- हाथ धोने के लिए बच्चों की ऊंचाई के अनुरूप सरल और कई बिंदु हों।

- बच्चों की ऊंचाई के हिसाब से अलग-अलग ऊंचाई पर साबुन रखने की कई जगहें हों।
- गंदे जल को किचेन गार्डन/हर्बल गार्डन से जोड़ने का बंदोबस्त हो।

पीने का जल

- स्कूल अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि जल पीने लायक हो। अगर किसी भूमिगत जल स्रोत से जल निकाला जा रहा है तो जिला स्तर से मिलने वाली सहायता के आधार पर उसकी आवश्यक छनाई (फिल्ट्रेशन) शुद्धिकरण (प्यूरीफिकेशन) जरूर किया जाए।
- पीने का जल स्कूल के शौचालय या आसपास बने शौचालयों या समुदाय से निकलने वाली नालियों से जुड़े लीच/सोक पिट से कम से कम 10 मीटर के फासले पर होना चाहिए।

जहाँ ये सुविधाएं पहले से मौजूद हैं वहाँ उनकी इस दृष्टि से समीक्षा की जानी चाहिए कि वे बच्चों तथा अन्य प्रयोक्ताओं के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। इस जाँच के आधार पर नई सुविधाओं का निर्माण करने की बजाय आवश्यकता के अनुसार उनकी मरम्मत या उनमें वृद्धि की जानी चाहिए। जहाँ मरम्मत और वृद्धि के कारण होने वाला खर्चा नई सुविधाओं के निर्माण के 75 प्रतिशत से अधिक बैठता है वहाँ नई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।





एक जिले में कार्यक्रम की औसत लागत (प्रति जिले में लगभग 2,000 स्कूलों के लिए) |

मद	विवरण	अपेक्षित मानक	प्रति स्कूल	लागत / जिला / 2000 स्कूल प्रति जिला
मद 1	(क) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय और उनमें हाथ धोने की सुविधा। (ख) बालिकाओं के शौचालयों के लिए इंसिनरेटर की व्यवस्था	प्रत्येक 40 बालकों और बालिकाओं के लिए एक इकाई	260,000	520,000,000
	प्रत्येक शौचालय एवं मूत्रालय खंड में पलशिंग के लिए नियमित जलापूर्ति।	कम से कम एक टूटी	80,000	160,000,000
मद 2	सामूहिक रूप से हाथ धोने की सुविधा और साबुन की व्यवस्था	कम से कम 10 विद्यार्थियों के लिए एक टूटी	15,000	30,000,000
मद 3	पीने का जल	स्कूल परिसर के भीतर कम से कम एक नल	40,000	80,000,000
मद 4	सालाना संचालन और रख-रखाव, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और मरम्मत	नियमित आपूर्ति	60,000	120,000,000
मद 5	स्कूलों में व्यवहार परिवर्तन संबंधी प्रयास	नियमित	10,000	20,000,000



स्वच्छ विद्यालय की तस्वीर

सभी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। व्यावसायिक संस्थाएं, निजी क्षेत्र की कंपनियां, व्यक्ति और समूह, प्रांतीय और राष्ट्रीय सरकारें और दाता संस्थान, नागर समाज और संगठन, ये सभी स्कूलों में जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों को बेहतर बनाने, विस्तार देने और जारी रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कार्रवाइयों का मोटा-मोटी ब्यौरा इस प्रकार है:

राष्ट्रीय स्तर पर

व्यावसायिक संस्थान, निजी क्षेत्र और फाउंडेशन

- स्कूलों में सुरक्षित पेयजल स्रोत, शौचालय और हाथ धोने की सुविधाओं के लिए आर्थिक सहयोग दे सकते हैं और स्कूलों के भीतर स्वच्छता में सुधार के लिए मदद दे सकते हैं।
- वार्षिक रख-रखाव अनुबंधों (एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैट) के माध्यम से इन सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए आर्थिक सहायता दे सकते हैं।
- जिला/राज्य स्तरीय कंसल्टेशंस एवं कार्यशालाओं के जरिए क्षमतावर्धन और व्यवहार परिवर्तन संचार अभियानों में सहायता दे सकते हैं।
- राज्य सरकारों, बहुराष्ट्रीय संस्थानों व संयुक्त राष्ट्र निकायों, शिक्षा एवं जल, सफाई व स्वच्छता के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे जाने-माने स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) और लाभ निरपेक्ष संगठनों, धारा 25 के अंतर्गत आने वाली कंपनियों, स्थानीय निकायों व पंचायतों और स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ साझेदारी में ऐसे स्कूलों को मदद दे सकते हैं जहाँ सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता शिक्षा की जरूरत है।
- स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे कृमि उन्मूलन उपचार, के लिए एक समग्र पूल आधारित कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री या अनुदान दे सकते हैं।

गैर-सरकारी संगठन

- स्कूलों में सुरक्षित पेयजल, सफाई व स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता को अपने एजेंडा में प्राथमिकता दे सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आंतरिक और बाहरी स्तर पर एडवोकेसी कर सकते हैं।
- विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ समन्वय में काम करते हुए यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके कार्यक्रम निश्चित स्तर के और टिकाऊ हों।
- ये संगठन सभी आयु के बच्चों को सफाई में हिस्सेदारी करने और घर, समुदाय व स्कूलों में स्वस्थ आदतों का सूत्रपात करने में परिवर्तन का वाहक बनने को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

धार्मिक नेता

- अपने समुदाय के धार्मिक, निजी और सरकारी स्कूलों में टिकाऊ जल, सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे सकते हैं।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के सभी आयामों में विद्यार्थियों, अध्यापकों और समुदाय की सहभागिता को प्रोत्साहित कर सकते हैं जिसमें नियोजन, निर्माण, संचालन व रख-रखाव, व्यवहार परिवर्तन, निगरानी व मूल्यांकन जैसे दायित्व भी शामिल हैं।
- अपने अनुयायियों को स्कूलों में बेहतर जल, सफाई व स्वच्छता के स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षिक और आर्थिक लाभों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।

पत्रकार और मीडिया

- प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो तथा ब्लॉगिंग, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मंचों पर इस अभियान को कवरेज दे सकते हैं।
- विश्वसनीय आंकड़ों और श्रेष्ठ व्यवहार के उदाहरणों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित कर सकते हैं।

स्कूल के स्तर पर

हैडमास्टर और अध्यापक

- प्रातःकालीन सभा और प्रार्थना, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि कक्षाओं के दौरान स्वच्छता संबंधी संदेशों का समावेश कर सकते हैं।
- विद्यार्थियों को शौचालय के समुचित उपयोग करने और हाथ धोने के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें भोजन से पहले और शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- अपराह्न भोजन गतिविधियों से पहले हाथ धोने की गतिविधि पर नजर रख सकते हैं, शौचालय, पेयजल स्रोतों और हाथ धोने के लिए बनाए गए बिंदुओं के संचालन और रख-रखाव पर नजर रख सकते हैं।
- विद्यार्थियों को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि किशोरावस्था में उन्हें किन परिवर्तनों का सामना करना है। वे बालकों और बालिकाओं को माहवारी के बारे में और माहवारी संबंधी स्वच्छता व्यवहारों के बारे में बात करने और सीखने के अवसर प्रदान कर सकते हैं।
- विद्यार्थियों को स्कूल में उपलब्ध जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं के नियमित इस्तेमाल, संचालन व रख-रखाव के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- बच्चों को स्कूल में और घर में स्वच्छ व्यवहार अपनाने के लिए सहायता दे सकते हैं।
- यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाथ धोने के स्थान पर साबुन और जल हमेशा उपलब्ध हो।
- अध्यापकों के दायित्वों एवं प्रदर्शन मूल्यांकन में जल, सफाई एवं स्वच्छता गतिविधियों पर निगरानी को शामिल कर सकते हैं।
- विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ परामर्श के आधार पर जल, सफाई और स्वच्छता कार्यक्रम के नियोजन, देख-रेख और निरंतर प्रबंधन में सहभागी बन सकते हैं; तथा निगरानी व सुधारक प्रयासों में सहभागिता कर सकते हैं।
- विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जाँच शिविरों का आयोजन कर सकते हैं और कृमि उन्मूलन दवाइयों पर नजर रख सकते हैं।
- खाना खाने से पहले स्वयं हाथ धोने जैसी आदतों को अपना कर विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं।

भोजन माता (अपराह्न भोजन पकाने वाली महिला) और हेल्पर

- भोजन को छूने, बनाने या परोसने से पहले साबुन से हाथ धोएं।
- रसोईघर में पूरी स्वच्छता सुनिश्चित करें।
- स्कूल में बच्चों को हर रोज सामूहिक रूप से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सुनिश्चित करें कि हाथ धोने की सुविधा चालू हालत में हो और उसका हर रोज इस्तेमाल किया जाए।



असम के कामरूप जिले में एक स्कूल में स्वच्छता अभियान के प्रसार में भाग लेते हुए बच्चे।



अभिभावक, एसएमसी और समुदाय के सदस्य

- स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के नियोजन और देख-रेख में सहायता देते हुए स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सहभागिता और योगदान दे सकते हैं।
- स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रख-रखाव में सहभागिता और योगदान दे सकते हैं।
- पूरे समुदाय के बच्चों, खासतौर से बालिकाओं को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- स्कूल और समुदाय में स्वच्छता प्रोत्साहन गतिविधियों और आयोजनों में सहायता दे सकते हैं।
- जल, सफाई एवं स्वच्छता संबंधी आपूर्ति, जैसे साबुन, टॉयलेट पेपर आदि की बारंबार लागतों में योगदान दे सकते हैं।
- घर में भी जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करें और बच्चों को उनका समुचित प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- घर और समुदाय में स्वस्थ स्वच्छता व्यवहारों को प्रोत्साहित करें।
- निगरानी एवं दोष सुधार कार्रवाइयों में सहभागिता करें।

बाल संसद और विद्यार्थी

- बाल संसद, स्कूल स्वास्थ्य क्लब आदि के जरिए स्वच्छता एवं सफाई गतिविधियों में हिस्सेदारी करें और अन्य विद्यार्थियों को भी इन समूहों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सभी बच्चों को समुचित रूप से स्वच्छ व्यवहार अपनाने, खासतौर से साबुन से हाथ धोने के लिए मदद दें और खुद इन सुविधाओं का उचित ढंग से प्रयोग करके उदाहरण प्रस्तुत करें।
- जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं की उपलब्धता पर नजर रख सकते हैं।
- स्कूल में जो सबक सीखे हैं उनको अपने भाई-बहनों और दोस्तों तक पहुँचा कर आप परिवार और समुदायों में स्वच्छता के व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

स्कूल प्रशासक

- अभिभावकों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करें ताकि स्कूल में उपलब्ध जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं को सक्रिय और स्वच्छ रखने के लिए अनुदान की व्यवस्था कर सकें।
- अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे स्कूल में लगातार जल, सफाई एवं स्वच्छता के लिए प्रयास करते रहें।



उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल शौचालय जो उत्तर प्रदेश में पंचायत द्वारा निर्मित और रख-रखाव किया जाता है।

बॉक्स 5.1: कॉरपोरेट क्षेत्र के योगदान हेतु कुछ मुख्य सिद्धांत

देश भर के स्कूलों में जल, सफाई एवं स्वच्छता की स्थिति में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए यह एक शानदार अवसर है। इस बिंदु पर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान देना आवश्यक है जो भविष्य में इस दिशा में होने वाले कामों के लिए रूपरेखा प्रदान करेंगे :

- जहाँ कहीं पहले से ये सुविधाएँ मौजूद हैं वहाँ उनकी समीक्षा करके यह देखा जाना चाहिए कि वे बच्चों और अन्य प्रयोक्ताओं के लिए अनुकूल हैं या नहीं। अगर उनकी मरम्मत/वृद्धि से काम चल सकता है तो नई सुविधाओं के निर्माण की बजाय मरम्मत को ही प्राथमिकता दी जाए। जहाँ मरम्मत और वृद्धि की लागत नई सुविधाओं के निर्माण पर होने वाले व्यय के 75 प्रतिशत से अधिक बैठती है वहाँ नई सुविधाओं का निर्माण किया जाए।
- ध्यान रखें कि यह कोई अवरचनागत मिशन नहीं है। इसमें मुख्य जोर और संसाधनों को इस बात पर केंद्रित किया जाए कि व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए और सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव में व्यवधान न आए। मिशन की दीर्घकालिक सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगी कि उपलब्ध सुविधाओं के संचालन और रख-रखाव में तथा मानव विकास संबंधी आयामों में हम लगातार कितना सकारात्मक प्रयास कर पाते हैं।
- इस मिशन के तहत जो बुनियादी ढांचा विकसित होगा वह पहले से मौजूद साधनों के अनुरूप हो और उससे स्कूल के भीतर किसी तरह की असमानता पैदा नहीं होनी चाहिए वरना उसका उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा।
- जल, सफाई एवं स्वच्छता के अलावा स्कूल में साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और जल प्रबंधन भी इस मिशन के अभिन्न अंग हैं। इन आयामों पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

कॉरपोरेट निकायों, कंपनियों, व्यक्तियों के साथ साझेदारी का मॉडल

निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, व्यक्तियों, फाउंडेशनों तथा अन्य निकायों का भी स्कूलों में जल, सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम चलाने, स्वच्छ भारत : स्वच्छ विद्यालय के विज़न को साकार करने के लिए सहर्ष स्वागत है। उपरोक्त भावना के आधार पर मिशन में उनकी सहभागिता के लिए विभिन्न मॉडल हो सकते हैं। इस मद में दो सुझाव नीचे दिए गए हैं:

मॉडल 1: केंद्र/राज्य स्तर पर आर्थिक अंशदान

- केंद्रीय स्तर पर विभिन्न खामियों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कोई कॉरपोरेट निकाय सीधे स्वच्छ भारत कोष नामक केंद्रीय निधि में अपना अंशदान दे सकता है जिसे मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कमियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉरपोरेट निकाय यह भी इंगित कर सकते हैं कि वे अपने अंशदान का किन मदों में इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर सरकार अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस राशि का मिशन के अंतर्गत आने वाले किसी भी काम के लिए प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगी।

स्वच्छ भारत कोष को स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के अलावा व्यापक स्वच्छ भारत अभियान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

मॉडल 2: स्कूल में कंपनियों और कॉरपोरेट निकायों की प्रत्यक्ष सहभागिता

केंद्र/राज्य स्तर पर विभिन्न कमियों के बारे में उपलब्ध डेटा के आधार पर कोई कॉरपोरेट निकाय निम्नलिखित ढंग से भी जल, सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम में निवेश कर सकता है :

- जो व्यक्ति/कॉरपोरेट निकाय/संस्थान शौचालय बनवाना चाहते हैं उन्हें अपनी मर्जी के स्कूल चुनने की छूट दी जाएगी।
- स्वच्छ भारत : स्वच्छ विद्यालय अभियान पर केंद्रित इस पुस्तिका को वे एक संदर्भ स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यह पुस्तिका उन्हें अपने निवेश तथा स्कूल में अपने हस्तक्षेप की योजना बनाने में मदद देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधित राज्य/संघशासित प्रदेशों की सरकारों को विभिन्न व्यक्तियों/कॉरपोरेट निकायों/संस्थानों को आवंटित किए गए स्कूलों में शौचालयों के निर्माण के लिए परामर्श देगा।
- शौचालय का डिजाइन और उसके मानक मानव संसाधन विकास मंत्रालय/राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे।
- निर्माण की लागत राज्य एसओआर पर करेगी।

आगे जारी...



- स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की देख-रेख में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण पर एक केंद्रीय ऑनलाईन डेटाबेस चलाया जाएगा।
- जो लोग खुद शौचालय नहीं बनवाना चाहते मगर इस मद में योगदान देना चाहते हैं वे स्वच्छ भारत कोष में अपना अंशदान दे सकते हैं।
- भौगोलिक फोकस अंततः भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एमडीडब्ल्यूएस) के साथ परामर्श के आधार पर तय किया जाएगा। जिलों का चयन आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जहाँ बच्चों में रुग्णता का स्तर ज्यादा है; जहाँ जल एवं स्वच्छता सुविधाएं चालू हालत में नहीं हैं और उनकी संख्या कम है, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति समुदाय, स्वच्छता सुविधाओं के कम प्रसार वाले इलाके/खुले में शौच की समस्या वाले इलाके तथा स्कूलों में कम हाजिरी वाले इलाके और ऐसे जिले जहाँ इस दिशा में काम करने वाले सहयोगी संगठन सक्रिय हैं। यह निर्णय राज्य सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में जिला ही हस्तक्षेप की इकाई होगा। इसके लिए एक संपृक्तता पद्धति अपनाई जाएगी जिसके जरिए सभी स्कूलों को न्यूनतम मानकों पर लाने का प्रयास किया जाएगा, यानी यहां उल्लिखित न्यूनतम मानकों को लागू किया जा चुका हो और लगातार सक्रिय सुविधाओं और निश्चित समायोपरांत व्यवहार परिवर्तन में बदलाव के जरिए उनकी सफलता की पुष्टि हो चुकी हो।



महाराष्ट्र में अपराह्न भोजन से पहले हाथ धोते हुए बच्चे



एक चित्रकारी प्रतियोगिता में स्कूल में जल, सफाई और स्वच्छता पर नये विचार को व्यक्त करते बच्चे

स्थानीय स्तर पर श्रेष्ठ व्यवहार के उदाहरण

स्वच्छ विद्यालय एक संभव लक्ष्य है। बहुत सारे राज्यों में पहले ही इस आशय के सफल उदाहरण उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल में जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं के खराब संचालन व रख-रखाव के मुद्दों से निपटने के लिए नीतिगत स्तर पर काम किया गया है। इनमें स्थानीय स्तर पर व्यवस्था एवं प्रणाली विकसित करने के लिए पृथक आर्थिक प्रावधान भी शामिल हैं।

संचालन व रख-रखाव

राजस्थान में संचालन व रख-रखाव

राजस्थान सरकार ने स्कूलों में जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए विशेष आर्थिक प्रबंध किया है। इस मद में प्रतिवर्ष 5,000 रुपये (500 रुपये प्रतिमाह प्रति स्कूल, 10 माह के लिए) का बंदोबस्त किया गया है। इस प्रसंग में एक सरकारी आदेश (F.5(4)(118)/RCEEE/SWSHE/S/GRANT-2014/3747, दिनांक 21.4.2104) जारी किया गया जिसमें सभी स्कूलों को यह निधि पाने का अधिकार दिया गया है। इस राशि को जल, सफाई एवं स्वच्छता संबंधी नियमित उपयोग की चीजों, जैसे हाथ धोने के लिए साबुन, सफाई सामग्री और सफाई कर्मचारियों पर होने वाले खर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन संसाधनों के समुचित सदुपयोग पर नजर रखने के लिए संकेतक भी तय किए जा चुके हैं:

- अपराहन भोजन से पहले और शौचालयों के प्रयोग के बाद सभी बच्चे हाथ धोएं।
- सभी शौचालय/मूत्रालय तथा जल की टूटियां और नलके प्रयोग योग्य और चालू हालत में हो।
- पूरा स्कूल साफ हो और ठोस कचरे का सही ढंग से निस्तारण किया जाए।
- जल, सफाई एवं स्वच्छता निधि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए समुचित लेखांकन व्यवस्था अपनाई जाए।

मध्य प्रदेश में संचालन व रख-रखाव तथा हाथ धोने के लिए बनाई गई इकाइयों हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था

मध्य प्रदेश में जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के रख-रखाव के लिए निधि ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की जाती है। विभाग ने पंचायत परमेश्वर अनुदान योजना के तहत प्रति पंचायत प्रति वर्ष न्यूनतम 25,000 रुपये की राशि आवंटित की है जो शौचालयों, जल एवं जल सुविधाओं और हाथ धोने की सुविधाओं की नियमित साफ-सफाई और रख-रखाव पर खर्च की जाती है। इसके अलावा, 2013 में स्कूली शौचालयों की सफाई के लिए पूरे राज्य में पंचायतों द्वारा 3111 सफाईकर्मियों की भी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पंच परमेश्वर योजना के जरिए सभी ग्रामीण सरकारी स्कूलों में सरल और स्तरीय सामूहिक हाथ धोने की इकाइयों की स्थापना का भी प्रावधान किया है।

गुजरात में संचालन व रख-रखाव

गुजरात सरकार ने कक्षा 7 तक के स्कूलों के लिए 2800 रुपये और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए 4500 रुपये प्रतिवर्ष का विशेष प्रावधान किया है। यह राशि स्कूल जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के संचालन व रख-रखाव पर खर्च की जाती है।

अपराहन भोजन से पहले हाथ धोने की आदत और व्यवहार परिवर्तन को और ऊंचे स्तर पर ले जाना

असम में 2008 से 2011 के बीच हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक विश्व हाथ सफाई दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से हाथ धोने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2011 में इन प्रयासों को व्यवस्थित रूप दिया गया और हाथ धोने से संबंधित संदेश एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों के कवर पर भी प्रकाशित किए जाने लगे।

वर्ष 2012 में 7 सितंबर को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई जब असम सरकार के प्रारंभिक शिक्षा आयुक्त एवं सचिव ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे साबुन से हाथ धोने के लिए एक निश्चित समय तय करें और अपराहन भोजन योजना के अंतर्गत उपलब्ध शर्तरहित राशि का साबुन खरीदने के लिए इस्तेमाल करें ताकि राज्य के सभी स्कूलों में बच्चे खाना खाने से

पहले और शौच जाने के बाद नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने लगे। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर हाथ धोने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं या अपर्याप्त हैं तो उपलब्ध सुविधाओं की कमियों को पूरा करने के लिए बाल्टियों और मगों का इस्तेमाल किया जाए। 2013 में एसएसए, यूनिसेफ और सीईई ने डेली हैंडवॉशिंग फॉर ऐन एलमेंट-फ्री लाइफ (डीएचएएएल) के रूप में एक प्रायोगिक परियोजना 100 स्कूलों में लागू की थी जिसके तहत सामूहिक रूप से हाथ धोने की सुविधाओं की समुचित देखरेख व रख-रखाव की व्यवस्था विकसित की गई है। डीएचएएएल योजना में अध्यापकों, विद्यार्थियों, स्कूल प्रबंधन समितियों और माता समूहों को सफलतापूर्वक हाथ धोने की सुविधाओं के संचालन व रख-रखाव में सहभागी बनाया गया है। 2014-15 में असम के तीन शैक्षिक ब्लाकों में इस परियोजना के तहत सामूहिक रूप से हाथ धोने की सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है और 2014-15 में ही ऐगजॉम एसएसए मिशन इस योजना को 10,000 अन्य स्कूलों में लागू करने वाला है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल जल, सफाई एवं स्वच्छता हेतु अंतर्देशीय समन्वय

शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल के आकार के आधार पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की राशि स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं की वार्षिक मरम्मत और रख-रखाव के लिए जारी करने का प्रावधान किया है। एसएमसी के माध्यम से आने वाली इस निधि के प्रावधान लचीले रखे गए हैं ताकि इसका केजीबीवी सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक स्कूलों में शौचालयों व हैंडपंप्स की मरम्मत व रख-रखाव के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा स्कूल जल एवं स्वच्छता सुविधाओं के दैनिक रख-रखाव के लिए सफाई सामग्री, साबुन आदि के क्रय हेतु वार्षिक स्कूल विकास निधि का भी प्रयोग कर सकते हैं।

पंचायती राज विभाग ने भी पंचायतों को जारी होने वाले अनुदान के जरिए 12वीं एवं 13वीं वित्तीय आयोग निधि (ग्राम निधि) के अंतर्गत स्कूली शौचालय के रख-रखाव हेतु प्रावधान किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी पंचायतें इस निधि को मरम्मत, अपराहन भोजन शेड के निर्माण, जलापूर्ति, एकाधिक हाथ धोने की सुविधाओं और स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए इस्तेमाल कर रही हैं।

आंध्र प्रदेश में स्कूल रख-रखाव निधि का स्कूल शौचालयों के रख-रखाव के लिए प्रयोग

वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रतिमाह 500 रुपये का प्रावधान किया है (स्कूल रख-रखाव निधि में से)। इस राशि का स्कूली शौचालय सुविधाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीद तथा सफाईकर्मियों की मजदूरी भी शामिल है।

साबुन से हाथ धोने के अनुभव

अपराहन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की संस्थागत व्यवस्था

राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी स्कूलों में अपराहन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहित कर रहा है। 6 फरवरी 2013 को जारी किए गए विभागीय आदेश संख्या 13-2/2012-EE.5 और विभागीय आदेश संख्या 13-2/2012-EE.5 (एमडीएम 1-2) में मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वे सभी स्कूलों में अपराहन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की संस्थागत व्यवस्था विकसित करें और अपराहन भोजन से पहले पर्याप्त समय दें ताकि हर बच्चा हाथ धो सके। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह भी आग्रह किया है कि वे हाथ धोने की इकाइयों को एमडीएम किचेन शेड के साथ जोड़ दें।

असम के संयुक्त समीक्षा मिशन में हाथ धोने की गतिविधि का समावेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपराहन भोजन योजना (एमडीएम) पर एक संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) का गठन किया गया था जिसमें पाया गया कि असम के चुनिंदा स्कूलों में अपराहन भोजन से पहले सामूहिक रूप से हाथ धोने की गतिविधि इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। इस आधार पर मिशन ने असम के सभी स्कूलों में इस गतिविधि को लागू करने का सुझाव दिया था। जेआरएम का कहना है कि स्कूल के सभी बच्चों के हाथ धोने के लिए 10-12 मिनट का समय पर्याप्त होता है और मिलकर हाथ धोने में बच्चों को मजा भी आता है। इस गतिविधि से बच्चों को विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाया जा सकता है। एमडीएम प्रायोगिक परियोजना में भोजन के पहले साबुन के साथ सामूहिक रूप से हाथ धोने की गतिविधि एसएसए के तहत यूनिसेफ की सहायता से लागू की गई थी। इस गतिविधि का विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी अध्ययन कर चुके हैं। असम के माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस कार्यक्रम की एसएसए के अंतर्गत लागू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक में सराहना की थी।



एमडीएम किचन शेड एवं भंडार की नई एवं लचीली रूपरेखा को प्रोत्साहन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 12 मई 2013 को जारी किए गए एक पत्र में एमडीएम किचन शेड्स के निर्माण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में कहा गया था:

- उन्नत किस्म के किचन शेड एवं भंडारों में पर्याप्त भंडारण क्षमता, भोजन पकाने के लिए उपयुक्त जगह, सामूहिक रूप से हाथ धोने के लिए जगह, पीने का साफ जल और बर्तन धोने की जगह का इंतजाम होना चाहिए। 60,000 रुपये के मौजूदा लागत मानक में भी संशोधन किया गया है ताकि नए रसोई घर में चौकी के क्षेत्रफल एवं राज्य दर अनुसूची का पालन किया जाए।
- परंतु 1.12.2009 से पहले स्वीकृत किए गए सभी किचन शेड 60,000 रुपये की व्यय सीमा का ही पालन करेंगे। इसका अर्थ है कि देश के प्रत्येक स्कूल में अपराहन भोजन से पहले साबुन के साथ हाथ धोने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा, रसोईघर के बाहर हाथ धोने के लिए छज्जे के नीचे कई बिंदु होने चाहिए और यह व्यवस्था न केवल नए रसोईघरों बल्कि पुराने रसोईघरों का भी एक अभिन्न अंग होनी चाहिए।
- बच्चों के हाथ धुलवाने के लिए साबुनों की खरीद को अपराहन भोजन क्रय निधि में जोड़ा जा सकता है।
- स्कूलों को चाहिए कि वे अपराहन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने के लिए उपयुक्त समय निर्धारित करें। केयरटेकरों और स्कूल अध्यापकों/हैडमास्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे हर रोज खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोयें।
- जिन स्कूलों में रसोईघर एवं भंडार कक्ष उपलब्ध हैं मगर समेकित जल, सफाई एवं स्वच्छता या अन्य सुविधाएं नहीं हैं वहाँ राज्य सरकार नरेगा, सांसद निधि, जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों को मिलाकर इन सुविधाओं की व्यवस्था कर सकती है।

बच्चों की सक्रियता

पश्चिम बंगाल में स्कूलनीत व्यवहार परिवर्तन अभियान

पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगा सर्वशिक्षा मिशन (पीबीएसएसएम) ने 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राज्य स्कूल स्वच्छता दिवस मनाने का फैसला लिया है। निर्मल विद्यालय सप्ताह नाम के इस वार्षिक अभियान में एक हफ्ते के दौरान स्वच्छता प्रोत्साहन अभियान चलाया जाता है। विद्यार्थियों, अध्यापकों, हैडमास्टर्स, एसएमसी सदस्यों, सरकारी अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता से इस अभियान में हर साल 85,660 प्रारंभिक स्कूल हिस्सा लेते हैं। हर साल आयोजित किए जा रहे इस अभियान में अपराहन भोजन से पहले साबुन के साथ सामूहिक रूप से हाथ धोना एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गया है।

चुनिंदा स्कूलों में विद्यालयी स्तर पर जल, सफाई एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए चित्र प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। यह निर्मल विद्यालय अभियान का सबसे प्रभावशाली आयाम है जिसमें हर साल 40-60 लाख बच्चे हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर हर साल होने वाले राज्य पुरस्कार समारोह में विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस प्रतियोगिता में बच्चों की बनाई गई तस्वीरों में से कुछ चुनिंदा तस्वीरों को सरकारी कैलेंडर में भी छापा जाता है ताकि बच्चों और स्कूलों को कैलेंडर में अपना नाम देख कर और प्रेरणा मिले।



पश्चिम बंगाल की तीन सितारा पद्धति

पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्मल विद्यालय अभियान के अंतर्गत श्रेष्ठ व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए तीन सितारा पद्धति अपनायी है। इसका मकसद बच्चों, अभिभावकों और समुदाय के स्वामित्व बोध को पुष्ट करके स्कूल में बच्चों के लिए एक साफ-सुथरा और सुरक्षित माहौल विकसित करना है। यह तीन सितारा पद्धति एक ऐसी अवधारणा है जो स्कूलों को अपने बल-बूते पर कुछ सरल और निखर्ची गतिविधियाँ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इन गतिविधियों को एक सितारा दिया जाता है। इसके बाद ये स्कूल राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचने के लिए लगातार सुधार की दिशा में बढ़ते हैं। यह अभिवृद्धिकारी पद्धति स्कूली बच्चों द्वारा की जाने वाली सामूहिक गतिविधियों और न्यूनतम मानकों की स्थापना पर आधारित है। जब एक बार न्यूनतम मानकों को प्राप्त कर लिया जाता है तो स्कूल एक सितारे से तीन सितारों की ओर बढ़ सकता है।

यह अवधारणा राज्य में बच्चों के लिए अनुकूल स्कूल तंत्र के मानकीकरण में मदद देने वाली 2012 में शुरू की गई निर्मल विद्यालय पुरस्कार योजना का उन्नत रूप है। इस स्कूल पुरस्कार की वजह से स्कूलों के बीच जल, सफाई एवं स्वच्छता सुधार के सरल, स्तरीय और टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। राज्य भर के स्कूलों में इस प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और श्रेष्ठ स्कूलों को मान्यता देने के लिए एक पारदर्शी का विकेंद्रीकृत चयन प्रक्रिया अपनाई गई है।



पुरस्कारों का स्तर

पुरस्कार की किस्म	स्कूल की किस्म	चयन का स्तर		
		सर्कल	जिला	राज्य
निर्मल विद्यालय पुरस्कार	प्राइमरी स्कूल जिसमें एसएसके तथा मदरसा बोर्ड से स्वीकृत ऐसे मदरसे भी शामिल हैं जो एक अधिकार आधारित स्कूल की सारी कसौटियों को पूरा करते हैं	1		
	अपर प्राइमरी स्कूल और हाईस्कूल जिनमें एसएसके तथा मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे भी शामिल हैं जो एक अधिकार आधारित स्कूल की सारी कसौटियों को पूरा करते हैं	1		
शिशुमित्र विद्यालय पुरस्कार	प्राइमरी स्कूल जिसमें एसएसके तथा मदरसा बोर्ड से स्वीकृत ऐसे मदरसे भी शामिल हैं जो एक अधिकार आधारित स्कूल की सारी कसौटियों को पूरा करते हैं		2	
	अपर प्राइमरी स्कूल और हाईस्कूल जिनमें एसएसके तथा ऐसे मदरसे भी शामिल हैं जो एक अधिकार आधारित स्कूल की सारी कसौटियों को पूरा करते हैं		1	
जैमिनी रॉय पुरस्कार	प्राइमरी स्कूल, जिनमें एसएसके और मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों को शिशुमित्र विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है।			3
	अपर प्राइमरी स्कूल और हाईस्कूल जिनमें एसएसके तथा मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ऐसे मदरसे भी शामिल हैं जिन्हें शिशुमित्र विद्यालय पुरस्कार दिया गया है।			3



गुजरात के स्कूलों में बाल संसद द्वारा पूर्ण सफाई

कक्षा 6 की विद्यार्थी निर्मला अपने स्कूल, मेरी शाला, की सफाई एवं स्वच्छता मंत्री है। उसने अपने स्कूल के एक सामान्य दिन का विवरण इस तरह दिया : “सबसे पहले मैं सुबह ये देखती हूँ कि शौचालय साफ है या नहीं। नियमित स्कूल कार्य के अलावा मेरा यह दायित्व है कि मैं पीने के जल तथा दूसरे विद्यार्थियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई पर भी नजर रखूँ। मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि वे अपराहन भोजन से पहले साबुन से हाथ धोयें और जिस तौलिये से वे अपने हाथ पोछते हैं वह रोजाना बदला जाए।”

हर अकादमिक वर्ष की शुरुआत में सात “विद्यार्थी मंत्रियों” से युक्त बाल संसद का विद्यार्थियों द्वारा ही चुनाव किया जाता है। इस परिषद को विद्यार्थी “वॉलंटियर नेताओं” से मदद मिलती है जो जल, सफाई, स्वच्छता, शिक्षा और खेल संबंधी विभिन्न दायित्वों के लिए विद्यार्थियों की पहचान करके उनकी समितियों का गठन करते हैं। इन समितियों के सदस्यों को हर 10 दिन में बदल दिया जाता है ताकि सभी विद्यार्थियों को इस प्रयास में हिस्सेदारी का अवसर मिले।

मेरी शाला की अध्यापिका और इस प्रयास की सूत्रधार सुश्री बिंदु जाला के मुताबिक, “हमारे स्कूल में बाल संसद की शुरुआत 2001 में हुई थी। जब मुझे और एक अन्य अध्यापिका को इस स्कूल में भेजा गया तो हम दोनों ही विद्यार्थियों में स्वच्छता और अनुशासन के अभाव को देखकर व्यथित थे। ज्यादातर बच्चे राजपुर और निकटवर्ती गांवों के गरीब परिवारों के बच्चे थे। इस स्थिति में सबसे पहले हमने विद्यार्थियों के दैनिक क्रियाकलापों में मूलभूत स्वच्छता शिक्षा का समावेश किया। हम उनके नाखूनों की जाँच करते थे, उनके कपड़ों को देखते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि खाना खाने से पहले वे हर रोज अपने हाथ धोएं।” इसी स्कूल में पढ़ने वाला कक्षा 7 का विद्यार्थी अमित बाल संसद का मुख्यमंत्री है। उसके अनुसार, “मैं हर रोज सबसे पहले स्कूल पहुँचता हूँ क्योंकि चाबियों का एक गुच्छा मेरे पास होता है। स्कूल आकर मैं पहले पूरे स्कूल का चक्कर लगाता हूँ और यह देखता हूँ कि सब कुछ व्यवस्थित है या नहीं। मैं शौचालयों को देखता हूँ, मैदान और जल की आपूर्ति की जाँच करता हूँ। अगर कभी कोई गड़बड़ होती है, कहीं पाइप या तार टूटे होते हैं तो मैं फौरन इस बात की जानकारी अध्यापकों को दे देता हूँ।”

बाल संसद द्वारा हर सप्ताह ‘बाल अदालतों’ का भी आयोजन किया जाता है। इन अदालतों में विभिन्न समितियों के कामों की समीक्षा की जाती है, अदालत की कार्रवाई का ब्योरा दर्ज किया जाता है और जिन समितियों का प्रदर्शन कमजोर पाया जाता है उन्हें मीमो दिए जाते हैं। विभिन्न मंत्रियों की अध्यापिकाओं और मुख्याध्यापिका के साथ मासिक बैठक भी होती है जिसमें मंत्री अब तक की प्रगति की जानकारी देते हैं और अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके बारे में बताते हैं। अगर उनके सामने किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो या तो उस पर फौरन कार्रवाई की जाती है या एक कार्य योजना तैयार की जाती है। विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर मुख्याध्यापिका या तो मरम्मत के लिए निधि जारी करती हैं या स्कूल में सफाई और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार के लिए सहायता का आश्वासन देती हैं।

बाल संसद के मंत्रियों से घिरी सुश्री जाला गर्वपूर्वक बताती हैं, “बीते सालों के दौरान मैंने इन विद्यार्थियों की सोच और आकांक्षाओं में एक सकारात्मक फर्क महसूस किया है। उन्हें न केवल समुचित सफाई और स्वच्छता की आदतों का प्रशिक्षण दिया गया है बल्कि इन समितियों में शामिल होकर उन्हें नेतृत्वकारी क्षमताएं हासिल करने, ज्यादा जिम्मेदार बनने और टीम के रूप में काम करने का अनुभव और सामर्थ्य भी मिली है। अब बाल संसद हमारे स्कूली जीवन का हिस्सा बन चुकी है और मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में यह और बेहतर प्रदर्शन करेगी।”



अपराहन भोजन से पहले क्रमवार होकर समूह में साबुन से हाथ धोते हुए।
गुना, मध्य प्रदेश में हाथ धोती हुई स्कूली छात्राएँ।

मध्य प्रदेश में बाल संसद

मध्य प्रदेश में बाल संसदें स्कूलों में जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं को बनाए रखने में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। बाल संसद दिशा निर्देश और स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार संबंधी दिशा-निर्देशों को सभी स्कूलों में भेजा गया है ताकि वहाँ स्वच्छता को प्रोत्साहन मिले और विद्यालयी शौचालय सुविधाओं के संचालन पर नजर रखी जा सके। स्कूलों में बच्चों के अनुकूल जल, सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं के लिए मानक राज्य सरकार द्वारा तय किए गए हैं और उनको पूरे राज्य में लागू किया जा रहा है। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण एजेंडा में एक समग्र शिक्षा पैकेज शामिल किया गया है और एसएमसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इसे शामिल किया गया है।

स्कूलों की दैनिक समय सारणी में 10 मिनट का अवकाश अपराह्न भोजन से पहले बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने के लिए निश्चित कर दिया गया है।





राजस्थान की कक्षाओं में जल, सफाई और स्वच्छता शिक्षा का समावेश

राजस्थान में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों की पाठ्यसामग्री में जल, सफाई एवं स्वच्छता के आयामों का समावेश किया गया है।

कक्षा	विषय	मुद्दे
3	पर्यावरण अध्ययन	<ul style="list-style-type: none"> खुले में शौच का खात्मा हाथ धोना
4	पर्यावरण अध्ययन – 2 (विज्ञान)	<ul style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत स्वच्छता मल-मूत्र से संक्रमण की रोकथाम
5	पर्यावरण अध्ययन – 2 (विज्ञान)	<ul style="list-style-type: none"> सुरक्षित जल सुरक्षित भोजन
7	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> स्कूली शौचालयों एवं परिसर का संचालन व रख-रखाव
8	स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	<ul style="list-style-type: none"> जल की गुणवत्ता
सभी कक्षाओं के लिए संघनित पाठ्यक्रम	परिवेश पर्यावरण अध्ययन	<ul style="list-style-type: none"> जल की गुणवत्ता विद्यालयी शौचालयों का संचालन व रख-रखाव हाथ धोना शौचालय का प्रयोग



मूत्रालय में जल की सही व्यवस्था यह सुनिश्चित करता है कि यह सही स्थिति में कार्यरत है



मेरी गो राउण्ड पम्प एक तकनीक जो स्कूल में निरंतर जल उपलब्ध कराती है।

सफल प्रयासों का प्रसार : राजस्थान के स्कूलों में शौचालयों और हाथ धोने के लिए नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना

राजस्थान के 98 प्रतिशत से ज्यादा स्कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए पृथक शौचालयों की व्यवस्था मौजूद है। इन स्कूलों में पीने के जल की टूटियों के साथ-साथ हैंडपम्प भी उपलब्ध हैं जिनसे पीने, हाथ धोने और शौचालयों के प्रयोग के लिए जल लिया जाता है। मगर, निरंतर जलापूर्ति के रख-रखाव और सदुपयोग की अनुपस्थिति में, खासतौर से शौचालयी सुविधाओं के लिए जल की कमी एक बहुत गंभीर चुनौती बन गई है।

यूनिसेफ तथा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद (आरसीईई) द्वारा विकसित किए गए फोर्स एण्ड लिफ्ट पम्प (एफएलपी) की मदद से निरंतर जलापूर्ति की समस्या को दूर करने में भारी सफलता मिली है। इस योजना में एफएलपी को सामान्य हैंडपम्प के साथ जोड़ दिया जाता है जिससे यह जल छत पर रखी जल की टंकियों में पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद इस टंकी से जल लगातार शौचालयों तथा हाथ धोने की टूटियों तक आता रहा है। जब भी कोई विद्यार्थी हैंडपम्प का प्रयोग करता है तो जल छत पर रखी टंकी में भी चढ़ने लगता है। एफएलपी बहुत मामूली लागत पर उपलब्ध है और इसको चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती।

स्कूलों में एफएलपी का प्रयोग:

- शौचालयों एवं मूत्रालयों में लगातार जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने
- हाथ धोने के लिए लगायी गई टूटियों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, और
- हैंडपम्प के इस्तेमाल के समय बिखरने वाले जल को बचाने के लिए किया जा रहा है।

शुरुआत में अलवर, झालावाड़, टोंक और सिरोही के 150 स्कूलों में इस पम्प का प्रयोग किया गया था। इसकी सफलता और व्यावहारिकता को देखते हुए 2013 में राज्य सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया और 14,000 रुपये प्रति इकाई की दर पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूटी) निधि के जरिए पहली खेप में स्कूलों और आंगनवाड़ियों में 10,000 एफएलपी स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। इसकी प्रति इकाई लागत में मौजूदा हैंडपम्प के रूपांतरण, नलसाजी के खर्च, छत पर टंकी के निर्माण/स्थापना, टूटियों आदि का खर्चा भी शामिल है। जुलाई 2014 तक ऐसे 2,600 एफएलपी स्कूलों में लगाए जा चुके थे।



यूनिसेफ और आरसीईई द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर मौजूदा हैंडपम्पों को एफएलपी पम्पों में रूपांतरित कर दिया जाए तो शौचालयों में और हाथ धोने के लिए नियमित रूप से जल की आपूर्ति बढ़ायी जा सकती है। एफएलपी की स्थापना और रखरखाव भी बहुत सरल है। यह काम स्थानीय स्तर पर ही बखूबी किया जा सकता है। इन पम्पों की स्थापना और रख-रखाव में समुदाय और अध्यापकों के योगदान से इस तकनीकी सुधार की व्यापक स्वीकार्यता का पता चलता है।

बॉक्स 7.1: यूनिसेफ की सहायता से आरसीईई द्वारा स्कूलों में एफएलपी के उपयोग पर जनवरी-फरवरी 2014 में किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- एफएलपी की स्थापना के बाद शौचालयों की साफ-सफाई और इस्तेमाल में 80 प्रतिशत से ज्यादा इजाफा हुआ है।
- 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में एफएलपी को प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा स्थापित किया गया है। इनमें से 41 प्रतिशत एफएलपी स्थानीय कारीगरों द्वारा ही स्थापित किए गए थे।
- एफएलपी की स्थापना के लिए आर्थिक प्रावधान लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) और एसएसए अनुदान से प्राप्त हुए हैं। 43 प्रतिशत स्कूलों में स्वीकार्य सीमा के बाद आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई समुदाय और अध्यापकों ने की है।
- 39 प्रतिशत स्कूलों में खराब हो गए एफएलपी पम्पों की पांच दिन से भी कम समय में मरम्मत की जा चुकी थी।
- एफएलपी पम्पों में हाथ के वॉल्व, वॉशर के खराब हो जाने और चेम्बर से जल का रिसाव आदि मुख्य गड़बड़ियाँ पायी गई हैं। 64 प्रतिशत स्कूलों में एफएलपी की सामान्य मरम्मत के लिए स्थानीय कारीगर ही सक्षम और उपलब्ध थे।
- एफएलपी की स्थापना के बाद 75 प्रतिशत अतिरिक्त स्कूलों में जल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। मगर, हाथ धोने के लिए नियमित जल में केवल 2.7 प्रतिशत का ही इजाफा हुआ है।



हस्तप्रक्षालन मिशन : समुदाय में परिवर्तन का सूत्रपात करती बच्चियाँ

यह सिर्फ स्कूल में पढ़ाए जाने वाले अध्यायों और कायदे-कानूनों को मानने की बात नहीं है। असम के सज्जनपाड़ा प्राइमरी स्कूल की पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली चंदना दायमेरी को मालूम है कि साबुन से हाथ धोने, खासतौर से खाना खाने के पहले और शौचालय जाने के बाद हाथ धोने के कारण ही अब वह जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। इसी कारण, अब वह अपने घर और समुदाय के तमाम लोगों को अपना यह राज़ बताना चाहती है। कामरूप जिले के रानी ब्लॉक में जहाँ चंदना रहती है वहाँ बोड़ो और राभा जनजाति समुदायों का बाहुल्य है। पहले इस खूबसूरत जमीन पर सफाई और स्वच्छता की कमी के कारण अक्सर दस्त और पेचिश की माहमारी फैल जाया करती थी।

अब वो जमाना लद चुका है। सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत मिली सहायता तथा सेंटर फॉर एनवायर्नमेंट एजुकेशन (सीईई) की पूर्वोत्तर इकाई से मिली तकनीकी सहायता के दम पर यहां के सज्जनपाड़ा जैसे बहुत सारे स्कूलों के विद्यार्थी हाथ धोने की आदत और साफ-सफाई के महत्व को समझने लगे हैं और अपने परिवार व समुदाय, हर स्तर पर स्वस्थ बदलावों का सूत्रपात कर रहे हैं। “मैं अपनी मां को कहती हूँ कि उसे भी शौच जाने के बाद और खाना खाने के पहले साबुन और जल से हाथ धोना चाहिए वरना वह बीमार पड़ जाएगी। मां मेरी बात को बड़े गौर से सुनती हैं। अगर कभी वह हाथ धोना भूल जाती है तो मैं उसे याद दिला देती हूँ। तब वह फौरन हाथ धो लेती है।” कंगना ने शरारत भरी मुस्कान के साथ बताया। उसे इस बात का गर्व है कि वह अपने परिवार को एक अच्छी आदत सिखाने में कामयाब हुई है। “जब से हमने यह आदत अपनाई है, हमारी सेहत बेहतर रहने लगी है। पहले मेरे घर में सभी को पेट की बीमारियाँ या बुखार होता रहता था।”

अब हमें अच्छी तरह हाथ धोने का महत्व समझ में आ गया है इसलिए यह हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। चंदना बताती है। आयुक्त एवं सचिव, प्रारंभिक शिक्षा सुश्री एल. एस. चांगसन के कार्यालय से हाल ही में एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपराहन भोजन योजना के तहत उपलब्ध राशि से सभी स्कूलों में साबुन खरीदा जाए। फलस्वरूप, अब यह योजना राज्य भर के स्कूलों में फैल चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दस्त की 88 प्रतिशत घटनाएं असुरक्षित जलापूर्ति और सफाई व स्वच्छता के अभाव की वजह से होती हैं।

पांचवीं कक्षा में ही पढ़ने वाली 10 वर्षीय नबनीता बोड़ो भी नियम से हाथ धोने लगी है और इस बात का पूरा खयाल रखती है कि उसके परिवार के दसों लोग अच्छी तरह हाथ धोएं। नबनीता बताती है, “मैडम ने हमें सिखाया है कि अगर हम अपने हाथ नहीं धोएंगे तो हमें दस्त, टायफॉइड और पीलिया जैसी बीमारियाँ हो जाएंगी।

इसीलिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि रोज हाथ धोऊं। अब तो मैंने अपने घर वालों को भी हाथ धोना सिखा दिया है।” वह गर्व के साथ बताती है, “मेरे दादा दादी को सीखने में थोड़ी मुश्किल हुई... वे बहुत बूढ़े जो हैं... मगर वे भी बड़ी गौर से मेरी बात सुनते हैं। जब उन्हें अहसास होता है कि हाथ न धोने के कितने बुरे नतीजे हो सकते हैं तो वे सीखने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। कभी-कभी मेरी दादी साबुन का इस्तेमाल करना भूल जाती है। तब मैं ही उसे याद दिलाती हूँ कि केवल जल से हाथ धोना ही काफी नहीं है। अब मेरे घर वालों को मुझ पर गर्व है।” यहां की बालिकाओं ने पीने के साफ जल, जल को “उबालने, ठंडा करने और पीने” का महत्व समझ लिया है।

परिवर्तन की यह बयार केवल स्कूली बच्चों और उनके परिवारों तक ही सीमित नहीं है। चंदना और नबनीता, दोनों इस संदेश को अपने समुदाय में भी फैलाने में जुट गई हैं। चंदना कहती है, “मेरे चाचा-ताऊ पांच भाई हैं और सब अपने-अपने परिवार के साथ अलग रहते हैं। मैंने उन सबको जाकर समझाया है कि साफ-सुथरा रहना और हाथ धोना कितना जरूरी है। मैं अपने पड़ोस में भी सबको बताती हूँ मगर अपने कुनबे के लोगों




छात्र संसद द्वारा एमडीएम से पहले सामूहिक रूप से हाथ धोने पर जोर

को समझाना ज्यादा आसान रहता है। मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली है कि मैं अपने कुनबे के बहुत सारे बड़े लोगों को कुछ सिखाने में कामयाब हुई हूँ। वे सब मेरी बात मानते हैं। कभी-कभी वे हैरान भी होते हैं कि मैं कितना कुछ जान गई हूँ। वह मुस्कराते हुए कहती है। नबनीता के शब्दों में, "हमारे पड़ोसी भी मेरी बात सुनने लगे हैं। वे कहते हैं कि अगर मैंने ये चीजें स्कूल में सीखी हैं तो ठीक ही होंगी। वैसे भी, जब वे देखते हैं कि अब हम पहले की तरह बीमार नहीं पड़ते तो उन्हें भी हाथ धोने का महत्व समझ में आने लगा है।" दोनों लड़कियाँ खुले में शौच के दुष्प्रभावों से भी भली-भाँति अवगत हैं। नबनीता के शब्दों में, "खुले में शौच जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आदत है। इसकी वजह से मच्छर और मक्खियाँ तरह-तरह की गंदगी और कीटाणु फैलाने लगते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं।" चंदना ने बताया कि पहले उसके घरवाले बाहर ही शौच के लिए जाते थे मगर अब उसके घर में भी शौचालय बन गया है। उसके मुताबिक, "पहले हम बाहर जंगल में शौच के लिए जाते थे। अब हमने घर में ही शौचालय बनवा लिया है। यह तरीका ज्यादा सेहतमंद है। शौचालय में जाना आसान और सुरक्षित भी है।"


अपने छोटे-छोटे कंधों पर अपने परिवारों और समुदायों की जिम्मेदारी संभालते हुए इन बालिकाओं की आंखों में अब एक बड़ा सपना भी पलने लगा है। चंदना कहती है, "मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि बीमारों का ईलाज कर सकूँ। मुझे स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी आदतें मालूम हैं और मैं जानती हूँ कि हाथ धोना कितना महत्वपूर्ण है... मुझे तो अभी से डॉक्टर जैसा लगने लगा है!" नबनीता उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। मगर उसकी सोच भी कुछ ऐसी ही है। उसके शब्दों में, "दादा-दादी को लगता है कि मैं तो अभी से डॉक्टर बन गई हूँ। पर मुझे पता है कि अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है और एक दिन सचमुच की डॉक्टर बनना है।"



परिशिष्ट 1: प्रारंभिक स्कूल में बालकों के शौचालय का तकनीकी डिजाइन




परिशिष्ट 2: प्रारंभिक स्कूल में बालिकाओं के शौचालय का तकनीकी डिजाइन





परिशिष्ट 3: सीडब्ल्यूएसएन शौचालय का तकनीकी डिजाइन



08

परिशिष्ट 4: माध्यमिक स्कूल में बालक एवं बालिका शौचालय का तकनीकी डिजाइन



- Notes**
1. This design is valid for brick strength not below 35kg/sq.cm.
 2. Foundation design is only indicative & may need review based on local site conditions.
 3. For masonry water tank, the foundation shall be in 230mm brick up to the base of the tank.
 4. Mortar 1:4 for 115mm thick masonry. No reinforcement bars in alternate courses.
 5. This design is valid for earth quake zone I, II and III only.
 6. No. water supply or waste water carrying pipe shall be concealed in the masonry wall. It shall be exposed and fixed with clips and not chased in masonry walls.
 7. In case the masonry specification is changed from that given here, maintain the internal clear dimensions & the layout and provide suitable redesigned foundation.
 8. Sloping roof overhang and its anchorage design may need review in cyclone prone regions.
 9. In case roof specifications are changed from that given here (e.g. flat roof in stone or RCC) provide suitable strengthening of masonry while maintaining all internal clearances in the layout design.
 10. Only one metallic / masonry Incherator to be put along the location indicated as ICN.
 11. Incherator to be provided only with Girls toilet and to have chute from inside.
 12. Location of leach pits, soak pits, waste drainage pipes & inspection chamber is indicative only. Actual location to be decided based on site conditions.
 13. Minimum distance of leaching pit from building foundation to be 125cm in different soil types.
 14. Design of leach pit shown is for 80-80-160 children with its volume sufficient for catering approximately six months in different soil types. For higher capacity or longer duration, design will need review.

Area calculation (Core)

Boys toilet block	4.56 sqm
Girls toilet block	6.93 sqm
Water tank	0.67 sqm
Wash area	0.29 sqm
Landing+Steps	2.17 sqm
Total Overall Area	14.62 sqm
Total Covered Area	12.43 sqm

Schedule of openings

Name	Size w x h
D3	800x2100
D4	700x2100
D5	600x1500
V1	600x450
V2	450x450
V4	300x450



- Key to symbols:**
1. Pipe carrying waste water from wash area to flush urinals.
 2. Open / Covered drain for waste from Urinal / Squatting pan.
 3. Masonry wall.
 4. Roof line.

Proposed Toilet-Basic Core Design 80 G+ 80 B Linear


Plan

All dimensions are in mm


11



परिशिष्ट 5: सामूहिक रूप से हाथ धोने की सुविधाओं का तकनीकी डिजाइन




परिशिष्ट 6: संशोधित एमडीएम किचन शेड्स का तकनीकी डिजाइन (मॉडल 1)





परिशिष्ट 7: संशोधित एमडीएम किचन शेड्स का तकनीकी डिजाइन (मॉडल 2)



Built-up Area of
 Design Option 2a for Phase-I = 20sqm
 Design Option 2b for Phase-II = 24sqm
 Design Option 2c for Phase-III = 28sqm

MDM Kitchen cum Store CONCEPT DESIGN OPTION 2
for 100 - 300 Children in a School

वेबसाइट एवं संसाधन

तकनीकी प्रारूप

- MHRD/MDWS/UNICEF (2009), 'An Inclusive Approach to School Sanitation and Hygiene Education: Strategy, Designs and Norms' www.mdws.gov.in
- UNICEF (2014), 'Toilet Technical Design Manual' - design options for School and Anganwadi toilets, from the basic to advanced, with different cost options
- MDWS/UNICEF (2014), 'Technical Design Manual' - design options and costing of group hand washing facilities
- MHRD (2013), 'Revised costs and design norms for MDM Kitchen Sheds' www.mdm.nic.in
- MHRD and MoUD (2011), 'National School Sanitation Manual (for CBSE schools)' www.mhrd.gov.in

सिनेमा एवं विडिओ स्पॉट

- UNICEF (2012), WASH in Schools – "WASH in Schools: Why not" – a short advocacy film
- UNICEF (2013), 'Mission Possible: WASH in Schools – advocacy film demonstrating group hand washing' www.youtube.com/watch?v=w_v1QBmj02Q
- Behaviour change posters, teaching booklets, advocacy sheets for classrooms in local languages

आगामी

- A 60 second video spot on group hand washing before MDM, for MHRD (forthcoming 2014)
- 3 x 4 minute films, each one aimed at sensitising different target groups, which include government officials/ policy makers, teachers and SMC members.

अन्य सामग्री

UNICEF (2014), 'An Overview of the Status of Drinking Water and Sanitation in Schools in India: a snapshot'. This snapshot provides current data on WASH in Schools in India. http://www.dise.in/Downloads/best%20practices/WASH%20in%20Schools%20India%20Snapshot_DISE%20data%20analysis.pdf



सभी राज्यों का राज्य स्तरीय डेटा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल स्कूल	ऐसे स्कूल जहां लड़कियों का शौचालय नहीं है	ऐसे स्कूल जहां लड़कों का शौचालय नहीं है	ऐसे स्कूल जहां लड़कियों के शौचालय चालू हालत में नहीं हैं	ऐसे स्कूल जहां लड़कों के शौचालय चालू हालत में नहीं हैं
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	348	23	21	10	15
2	आंध्र प्रदेश	45714	9114	19275	8329	5374
3	अरुणाचल प्रदेश	3398	871	1851	960	272
4	असम	50186	6890	16255	3956	6592
5	बिहार	70673	17982	19422	9225	9597
6	चंडीगढ़	112	0	0	0	0
7	छत्तिसगढ़	47526	2753	8168	3667	3056
8	दादरा एवं नगर हवेली	275	14	41	12	9
9	दमन एवं दीव	88	0	0	0	0
10	दिल्ली	2826	0	0	0	0
11	गोवा	961	22	163	31	28
12	गुजरात	33713	87	869	80	147
13	हरियाणा	14974	380	686	156	169
14	हिमाचल प्रदेश	15219	460	924	46	52
15	जम्मू एवं कश्मीर	23234	6294	7822	2797	1553
16	झारखण्ड	40666	4736	5484	3979	3350
17	कर्नाटक	46421	12	24	30	68
18	केरल	5111	82	137	62	70
19	लक्ष्यद्वीप	44	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	114444	9130	9443	9271	8819
21	महाराष्ट्र	67307	1226	1221	2190	1088
22	मणिपुर	3132	67	191	487	369
23	मेघालय	7757	3781	3515	1063	1089
24	मिजोरम	2273	6	663	402	99
25	नागालैंड	2603	96	341	254	87
26	ओडिसा	58412	8196	13452	12520	9040
27	पुद्दूचेरी	433	0	0	0	0
28	पंजाब	21343	544	665	372	450
29	राजस्थान	83564	2224	3788	2990	3933
30	सिक्किम	870	8	29	24	28
31	तमिलनाडु	37002	1442	4278	958	1159
32	तेलंगाना	29375	7945	14884	7881	3952
33	त्रिपुरा	4323	352	280	169	179
34	उत्तर प्रदेश	160763	2355	4634	5971	3852
35	उत्तरांचल	17426	743	847	1005	1200
36	पश्चिम बंगाल	81915	13608	12858	9087	11300



जल, सफाई एवं स्वच्छता की शिक्षा से सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा मिलता है। स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता से बच्चों और उनके परिवारों की खुशहाली में इजाफा होता है और स्वस्थ नागरिकों की एक नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होता है। स्कूलों में जल, सफाई और स्वच्छता के चलते गंदगी की वजह से फैलने वाली बीमारियों में भारी कमी आ जाती है; विद्यार्थियों की हाजिरी और शैक्षिक उपलब्धि का स्तर बढ़ जाता है; उनको सम्मान, साझेदारी और समता का भाव मिलता है। ये गुण निरंतर विकास और आर्थिक उन्नति का आधार हैं।